हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं हरियाणा विधान सभा के तेरहवें

(अगस्त) सत्र, 2023 में

हरियाणा विधान सभा

द्वारा

किये गये कार्यों का सार

जिसमें परिशिष्ट दैनिक बुलेटिन भी शामिल हैं।

हरियाणा विधान सभा सचिवालय चंडीगढ़
अगस्त, 2023

प्रस्तावना

निम्नलिखित पृष्ठों में 25 अगस्त, 2023 से 29 अगस्त, 2023 तक आयोजित चौदहवीं विधान सभा के तेरहवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों के साथ सभा की बैठक स्थगित होने के बाद जारी बुलेटिन भी शामिल हैं।

आशा है कि यह प्रकाशन उन सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा उपयोगी पाया जाएगा जो उपरोक्त तिथियों को विधान सभा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं।

भविष्य में इस प्रकाशन के और सुधार के लिए किसी भी सुझाव का स्वागत किया जाएगा।

चंडीगढ़ सचिव।
दिनांक 16.10.2023

सामग्री तालिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	मंत्री परिषद आदि के संबंध में विवरण	
2.	हरियाणा विधान सभा में पार्टी की दलवार स्थिति	
3.	हरियाणा विधान सभा का आह्वान, बैठकें और सत्रावसान	
4.	कार्यक्रम का अवलोकन	
5.	समितियां	
6.	सभापतियों के नामों की सूची	
7.	अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	
8.	संदर्भ	
9.	वित्तीय कार्य	
10.	विधायी कार्य	
11.	विधेयकों का सारांश	
12.	प्रस्ताव–	
	(i) सरकारी	
	(ii) गैर सरकारी	
13.	रिपोर्ट प्रस्तुत की गई/रखी गई	
14.	कागज पत्र प्रस्तुत किये गये/रखे गये/पुनः रखे गये	
15.	नियम 66–67 के तहत स्थगन प्रस्ताव	
16.	नियम 73 के तहत ध्यानाकर्षण सूचनाएं	
17.	नियम 73 क के तहत अल्पकालिक चर्चा	
18.	नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	
19.	मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य	
20.	दिये गये भाषणों और उस पर लगने वाले समय का तुलनात्मक विवरण	
21.	प्रश्नों से संबंधित आंकड़े	
22.	प्रश्नों का विवरण	
23.	तिथिवार दिये गये उत्तर/नहीं रखे गये/स्थगित कर दिये गये तारांकित प्रश्नों का विवरण	
24.	नियम 45(1) के तहत सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के उत्तर की तिथिवार संख्या दर्शाने वाला विवरण	
25.	विभिन्न मंत्रियों के नामों में तारांकित प्रश्नों की संख्या दर्शाने वाला तिथिवार विवरण।	
26.	बहिर्गमन	
27.	परिशिष्ट बुलेटिन (अगस्त) सत्र, 2023	

मंत्री परिषद आदि के संबंध में विवरण

29.08.2023 तक।

अध्यक्ष

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता

उपाध्यक्ष

श्री रणबीर गंगवा

मुख्यमंत्री

श्री मनोहर लाल

उप मुख्यमंत्री

श्री दुष्यंत चौटाला

मंत्रीगण

1. श्री अनिल विज, गृह मंत्री
2. श्री कंवर पाल, स्कूल शिक्षा मंत्री
3. पंडित मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री
4. श्री रणजीत सिंह, ऊर्जा मंत्री
5. श्री जय प्रकाश दलाल, कृषि मंत्री
6. डॉ बनवारी लाल, सहकारिता मंत्री
7. डॉ कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री
8. श्री देवेंद्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री

राज्य मंत्री

1. डॉ**.** ओम प्रकाश यादव, सैनिक तथा अर्ध सैनिक कल्याण
2. श्रीमती कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल विकास
3. श्री अनूप धानक, श्रम
4. सरदार संदीप सिंह, मुद्रण तथा लेखन सामग्री

विधान सभा के सचिव

श्री आर.के. नांदल

हरियाणा विधानसभा में पार्टी की दलवार स्थिति
29.08.2023 तक

1. माननीय अध्यक्ष	**01**
2. भारतीय जनता पार्टी	**40**
3. इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी	**30**
4. जननायक जनता पार्टी	**10**
5. इंडियन नेशनल लोक दल	**01**
6. हरियाणा लोकहित पार्टी	**01**
7. निर्दलीय	**07**

	कुल 90

हरियाणा विधान सभा का आह्वान, बैठकें और सत्रावसान

राज्यपाल के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के आदेश द्वारा चौदहवीं हरियाणा विधान सभा को दिनांक 25 अगस्त, 2023 को हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, चण्डीगढ़ के हाल में इसके तेरहवें सत्र/अधिवेशन के लिए आहूत किया गया था जो कि दिनांक 29 अगस्त, 2023 तक बैठक के अनवरत काल के लिए स्थगित होने तक जारी रहा। बाद में दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को राज्यपाल के आदेश द्वारा इसका सत्रावसान कर दिया गया।

सत्र के दौरान, सभा की 3 बैठकें हुईं, जो कि अपनाया गया कार्यक्रम में देखा जा सकता है।

चौदहवीं हरियाणा विधान सभा द्वारा 25 अगस्त, 2023 से 29 अगस्त, 2023 तक आयोजित अपने तेरहवें सत्र के दौरान अपनाया गया कार्यक्रम।

दिनांकित	कार्यक्रम
शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 (प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.38 बजे तक)	1. शोक प्रस्ताव (विवरण के लिए शीर्षक 'शोक प्रस्ताव' के अंतर्गत देखें).
	2. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना।
	3. विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।
विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन	श्री जोगी राम, एम.एल.ए तथा श्री अनूप धानक, एम.एल.ए द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2023 को श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए के विरुद्ध दी गई सूचना कि उनके द्वारा हिसार हवाई अड्डे के उद्देश्य के लिए/के पास अधिगृहित भूमि से सम्बन्धित कुछ गलत व भ्रामक तथ्य इत्यादि दिए जाने के बारे में अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न सम्बन्धी विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे की सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।
	4. विधायी कार्य क) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकः- 1. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 2. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023
सोमवार, 28 अगस्त, 2023 (प्रातः 11:00 बजे से सायं 6:33 बजे तक)	1. शोक प्रस्ताव (विवरण के लिए शीर्षक 'शोक प्रस्ताव' के अंतर्गत देखें) 2. वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018 2019 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान। 3. नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–2024 के लिए अनुपूरक अनुमान

<table>
<tr><th>दिनांकित</th><th>कार्यक्रम</th></tr>
<tr><td></td><td>(प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना।
4. नेवा पोर्टल के माध्यम से प्राक्कलन समिति की वर्ष 2023–24 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
5. वर्ष 2023–2024 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) पर चर्चा तथा मतदान।
6- सरकारी संकल्प
लोक ऋण अधिनियम, 1944 एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में संशोधन के निरसन के बारे में।
(स्वीकृत).
(संकल्प/विवरण देखने के लिए ‘संकल्प’ शीर्षक देखें)
5. विधायी कार्य
(क) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)
1. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023
2. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023
3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

(ख) (पुरःस्थापित किये जाने वाला विधेयक)
1. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
2. हरियाणा वाद्य (शोर–नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023
3. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023
4. सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023</td></tr>
<tr><td>मंगलवार, 29 अगस्त, 2023 (प्रातः 11.00 बजे से सायं 7:44 बजे तक)</td><td>1. नियम 15 के अधीन दिन की कार्यवाही को विधान सभा की बैठक ' नियम के प्रावधानों से अनिश्चितकाल के लिए छूट देने बाबत प्रस्ताव|
(स्वीकृत हुआ।)
2. विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के संबंध में नियम 16 के तहत प्रस्ताव|
(स्वीकृत हुआ।)
3. नेवा पोर्टल के माध्यम से हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति की 88वीं रिपोट प्रस्तुत करना।
4._विधायी कार्य–

(कं) (विचार तथा पारित करने के लिए विधेयक)</td></tr>
</table>

दिनांकित	कार्यक्रम
	1. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 2. हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023 3. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023 4. सोनीपत महानगर प्राधिकरण विधेयक, 2023 **(**ख) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक) 1. हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023 2. हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023 **5- सरकारी संकल्प** चन्द्रयान–3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बारे में। **(**स्वीकृत**).** (संकल्प/विवरण देखने के लिए 'संकल्प' शीर्षक देखें**)**

समितियां

(i) कार्य सलाहकार समिति

[नियम 33 (1) और (3), के तहत 10 जनवरी, 2020 को नामांकित]

दिनांक 24.08.2023 को हुई समिति की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1.	श्री ज्ञानचंद गुप्ता, माननीय अध्यक्ष	पदेन अध्यक्ष
2.	श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री	सदस्य
3.	श्री दुष्यंत चौटाला, माननीय उपमुख्यमंत्री	सदस्य
4.	श्री कंवर पाल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
5.	श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष	सदस्य
6.	श्री रणबीर गंगवा, माननीय उपाध्यक्ष	सदस्य

(ii) लोक लेखा समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2023-24 के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों को नामित करने के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2023 को सदन में हुई हरियाणा विधान सभा की बैठक में पारित किए गये प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, वर्ष 2023-24 के लिए लोक लेखा समिति के लिए दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को निम्नलिखित चेयरपर्सन/ सदस्यों को नामित किया है । दिनांक 01.04.2023 से 29.08.2023 तक समिति के निम्नलिखित सभापति/सदस्य रहे।

1. श्री वरुण चौधरी, विधायक	चेयरपर्सन
2. श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक	सदस्य
3. श्री राम कुमार कश्यप, विधायक	सदस्य
4. श्री नरेन्द्र गुप्ता, विधायक	सदस्य
5. श्री भव्य बिशनोई, विधायक	सदस्य
6. श्री अमित सिहाग, विधायक	सदस्य
7. श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक	सदस्य
8. श्री जोगी राम सिहाग, विधायक	सदस्य
9. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक	सदस्य

(iii) प्राक्कलन समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिंनाक 26 अप्रैल, 2023 को हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 233(2) के तहत वर्ष 2023-2024 के लिए प्राक्कलन समिति गठन किया गया था | दिंनाक 01-04-2023 से 29-08-2023 तक की अवधि के दौरान इस समिति में निम्नलिखित सभापति/सदस्य रहे |

1.	श्री मोहन लाल बडोली, विधायक	सभापति
2.	राव दान सिंह, विधायक	सदस्य
3.	श्री जयवीर सिंह, विधायक	सदस्य
4.	श्री गोपाल कांडा, विधायक	सदस्य
5.	श्री सुभाष सुधा, विधायक	सदस्य
6.	श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक	सदस्य
7.	श्री राजेश नागर, विधायक	सदस्य
8.	श्री मेवा सिंह, विधायक	सदस्य
9.	श्री बलराज कुंडू, विधायक	सदस्य

(iv) सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 235 के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 26 अप्रैल, 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का गठन किया गया था। दिनांक 01.04.2023 से 29.08.2023 तक की अवधि के दौरान इस समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य रहे।

1.	**श्री असीम गोयल, विधायक**	**सभापति**
2.	**श्री दुडा राम, विधायक**	**सदस्य**
3.	**श्री प्रदीप चौधरी, विधायक**	**सदस्य**
4.	**डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक**	**सदस्य**
5.	**श्री सुधीर कुमार सिंगला, विधायक**	**सदस्य**
6.	**श्री सीता राम यादव, विधायक**	**सदस्य**
7.	**श्री चिरंजीव राव, विधायक**	**सदस्य**
8.	**श्री कुलदीप वत्स, विधायक**	**सदस्य**
9.	**श्री नीरज शर्मा, विधायक**	**सदस्य**

(v) नियम समिति

(20 अप्रैल, 2022 को नामांकित)

1. श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, अध्यक्ष	पदेन चेयरपर्सन
2. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, विधायक	सदस्य
3. श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	सदस्य
4. श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक	सदस्य
5. डॉ॰ अभय सिंह यादव, विधायक	सदस्य
6. श्री भारत भूषण बत्रा, विधायक	सदस्य
7. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक	सदस्य
8. श्री सुधीर कुमार सिंगला, विधायक	सदस्य

समिति का गठन हरियाणा विधानसभा सचिवालय अधिसूचना संख्या एचवीएस-एलए-83/2022/38, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 द्वारा किया गया था।

(vi) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 244(1) के तहत माननीय अध्यक्ष द्वारा 26 अप्रैल, 2023 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का गठन किया गया था। 01.04.2023 से 29.08.2023 तक की अवधि के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में निम्नलिखित सभापति/सदस्य रहे।

1.	श्री भारत भूषण बत्रा, विधायक	सभापति
2.	श्री राजेन्द्र सिंह जून, विधायक	सदस्य
3.	श्री दुड़ा राम, विधायक	सदस्य
4.	श्री महिपाल ढांडा, विधायक	सदस्य
5.	श्री आफताब अहमद, विधायक	सदस्य
6.	श्री सीता राम यादव, विधायक	सदस्य
7.	श्री बलबीर सिंह, विधायक	सदस्य
8.	श्री सुभाष गांगोली, विधायक	सदस्य
9.	श्री अमरजीत ढांडा, विधायक	सदस्य
*10.	श्री इन्दु राज, विधायक	विशेष आमंत्रित

---

*श्री इन्दु राज, विधायक को माननीय अध्यक्ष द्वारा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में विशेष आमंत्रित के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2023 को वर्ष 2023-2024 की शेष अवधि के लिए मनोनीत किया गया।

(vi) (a)डबुआ सब्जी मंडी, फरीदाबाद में फड़ों (विक्रेताओं) के आवंटन में कथित घोटाले के मामले की जांच करने के लिए समिति

डबुआ सब्जी मंडी, फरीदाबाद में फड़ों (विक्रेताओं) के आवंटन में कथित घोटाले के मामले की जांच करने के लिए समिति माननीय अध्यक्ष द्वारा 30 जून, 2021 को मनोनीत की गई। 01.04.2023 से 29.08.2023 तक की अवधि के दौरान समिति में निम्नलिखित संयोजक/सदस्य रहे।

1.	श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक	संयोजक
2.	श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	सदस्य
3.	श्री दीपक मंगला, विधायक	सदस्य
4.	श्री नरेन्द्र गुप्ता, विधायक	सदस्य

(vii)अधीनस्थ विधान समिति

समिति 26.04.2023 से गठित की गई थी। हरियाणा विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं. HVS/SLC-1/2023-24/121 दिनांक 26 अप्रैल, 2023.

1.	*श्री ईश्वर सिंह, विधायक	सभापति
2.	श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक	सदस्य
3.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	सदस्य
4.	श्री जयवीर सिंह, विधायक	सदस्य
5.	डा. अभय सिंह यादव, विधायक	सदस्य
6.	***श्री बिशम्बर सिंह , विधायक	सदस्य
7.	श्री अमित सिहाग, विधायक	सदस्य
8.	श्री इन्दुराज, विधायक	सदस्य
9.	महाधिवक्ता, हरियाणा	सदस्य

विशेष आमंत्रित

**श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक

---

* श्री ईश्वर सिंह ,विधायक ने समिति के सभापति/सदस्यता से दिनांक 17.05.2023 को त्यागपत्र दे दिया। अधिसूचना संख्या HVS-SLC-1/2023-24/132 दिनांक 17.05.2023.

**श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक, समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य को अधिसूचना संख्या HVS-SLC-1/2023-24/137 दिनांक 23.05.2023 के द्वारा समिति के सभापति के रूप में नामित किया गया।

***श्री बिशम्बर सिंह, विधायक ने समिति की सदस्यता से दिनांक 23.05.2023 से त्यागपत्र दे दिया। अधिसूचना संख्या HVS-SLC-1/2023-24/138 दिनांक 23.05.2023.

(viii)आवास समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 26 अप्रैल, 2023 को निम्नलिखित समिति अध्यक्ष/सदस्यों को हरियाणा विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 265 के तहत वर्ष 2023-2024 के लिए आवास समिति **समिति** का गठन किया गया था । दिंनाक 01.04.2023 से 29. 08.2023 तक कमेटी के निम्नलिखित सदस्य रहे।

1. श्री रणबीर गंगवा, माननीय उपाध्यक्ष	पदेन सभापति
2. श्री हरविंद्र कल्याण, विधायक	सदस्य
3. श्री आफताब अहमद, विधायक	सदस्य
4. श्री राम कुमार गौतम, विधायक	सदस्य
5. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक	सदस्य

(ix)अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछडे. वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति (26.04.2023 को नामांकित किया)

हरियाणा विधान सभा सचिवालय के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 121 के अनुसार सदन द्वारा दिनांक 22 फ़रवरी, 2023 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से वर्ष 2023-2024 के लिए विभिन्न दलों /समूहों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछडे. वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों को नामांकित करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया था। तत्पश्चात्, माननीय अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा विधान सभा सचिवालय के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 266 (1) के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के लिए, दिनांक 26.04.2023 को समिति का गठन किया गया | दिनांक 01.04.2023 से 29.08.2023 तक समिति के निम्नलिखित सभापति/सदस्य रहें :-

1.	श्री सत्य प्रकाश, विधायक	सभापति
2.	श्री लक्ष्मण नापा, विधायक	सदस्य
3.	श्री राजेश नागर, विधायक	सदस्य
4.	श्रीमति रेनू बाला, विधायक	सदस्य
5.	श्री शीशपाल सिंह, विधायक	सदस्य
6.	श्री चिरंजीव राव, विधायक	सदस्य
7.	श्री राम करण, विधायक	सदस्य
*8.	श्री राम निवास, विधायक	सदस्य
9.	श्री धर्मपाल गोंदर, विधायक	सदस्य

*श्री राम निवास, विधायक ने दिनांक 17.05.2023 को हरियाणा विधान सभा सचिवालय की अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछडे. वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस्तीफ़ा उसी दिन स्वीकार कर लिया था जिसकी अधिसूचना दिनांक 17.05.2023 को ही अधिसूचना संख्या एचवीएस/एससी/एसटी/बीसी/01/2023-2024/133 के तहत प्रकाशित कर दी गई थी |

(x)विशेषाधिकार समिति

हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 286 (1) के तहत माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 26.04.2023 को विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया था | दिनांक 26.04.2023 से 29.08.2023 तक की अवधि के दौरान इस समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य रहे |

1.	श्री नरेन्द्र गुप्ता , विधायक	चेयरपर्सन
2.	श्री बिशन लाल सैनी , विधायक	सदस्य
3.	श्री हरविंद्र कल्याण , विधायक	सदस्य
4.	श्री विनोद भ्याणा , विधायक	सदस्य
5.	श्री दीपक मंगला , विधायक	सदस्य
6.	श्री सत्य प्रकाश , विधायक	सदस्य
7.	श्री वरुण चौधरी , विधायक	सदस्य
8.	श्री अमरजीत ढांडा , विधायक	सदस्य
9.	श्री कुलदीप वत्स , विधायक	सदस्य
10.	श्री सोमबीर सांगवान , विधायक	सदस्य

(x)(a) हरियाणा विधान सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों के शिष्टाचार मानदंडो के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधित समिति |

हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 204 के तहत माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 26.04.2023 को हरियाणा विधान सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों के शिष्टाचार मानदंडो के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधित समिति का गठन किया गया था | दिनांक 26.04.2023 से 29.08.2023 तक की अवधि के दौरान इस समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य रहे |

1.	श्री असीम गोयल, विधायक	चेयरपर्सन
2.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	सदस्य
3.	श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक	सदस्य
4.	श्री भारत भूषण बतरा , विधायक	सदस्य
5.	श्री मोहन लाल बडोली, विधायक	सदस्य
* 6	श्रीमती निर्मल रानी, विधायक	सदस्य
7.	श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक	सदस्य
8.	श्री जोगी राम सिहाग, विधायक	सदस्य
9.	श्रीमती रेनू बाला, विधायक	सदस्य
10.	श्री नयन पाल रावत, विधायक	सदस्य

---

* श्रीमती निर्मल रानी, विधायक ने दिनांक 24.05.2023 को हरियाणा विधान सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों के शिष्टाचार मानदंडो के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधित समिति से अपना इस्तीफा दिया, जिसे माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा द्वारा दिनांक 29.05.2023 को स्वीकार किया |

(xi)याचिका समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 268 के तहत वर्ष 2023–24 के लिए याचिका समिति का दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को गठन किया गया। दिंनाक 01.04.2023 से 29.08.2023 तक कमेटी के निम्नलिखित सदस्य रहे।

1.	श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक	सभापति
2.	श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक	सदस्य
3.	श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	सदस्य
4.	श्रीमती शकुंतला खटक, विधायक	सदस्य
5.	श्री लीला राम, विधायक	सदस्य
6.	श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक	सदस्य
7.	श्री संजय सिंह, विधायक	सदस्य
8.	श्री राम निवास, विधायक	सदस्य
9.	श्री सोमबीर सांगवान, विधायक	सदस्य
*10.	श्री बिशम्बर सिंह, विधायक	विशेष आमंत्रित

---

*श्री बिशम्बर सिंह, विधायक को माननीय अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 268 के तहत दिंनाक 29.05.2023 को वर्ष 2023–24 की शेष अवधि के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया।

....

(xii)स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों से संबंधित समिति (26 अप्रैल, 2023 को नामांकित)

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 272(1) के तहत वर्ष 2023-2024 के लिए स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हरियाणा विधान सभा की समिति का गठन किया गया था दिनांक 01.04.2023 से 29.08.2023 तक इस समिति में निम्नलिखित सभापति, सदस्य व विशेष आमंत्रित सदस्य रहे:-

1. श्री राम कुमार कश्यप, विधायक	सभापति
2. श्री घनश्याम सर्राफ, विधायक	सदस्य
3. श्री जगदीश नायर, विधायक	सदस्य
4. श्री बिशन लाल सैनी, विधायक	सदस्य
5. श्री बिसम्बर सिंह, विधायक	सदस्य
6. श्री राम कुमार गौतम, विधायक	सदस्य
7. श्री नीरज शर्मा, विधायक	सदस्य
8. श्री सुरेंद्र पंवार, विधायक	सदस्य
9. श्री राकेश दौलताबाद, विधायक	सदस्य
10. श्री मामन खान, विधायक	विशेष आमंत्रित
**11. श्रीमती शैली, विधायक	विशेष आमंत्रित
*12. श्री राम निवास, विधायक	विशेष आमंत्रित

*श्री राम निवास, विधायक को स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति में माननीय अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2023-2024 की शेष अवधि के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति में सेवा करने के लिए तत्काल प्रभाव से दिनांक 17 मई, 2023 को अधिसूचना संख्या एच.वी.एस./एल.बी./पी.आर.आई.सी.-1/2023-24/136, दिनांक 17 मई, 2023 के माध्यम से नामित किया है ।

**श्रीमती शैली, विधायक ने दिनांक 11 जून, 2023 को स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधित हरियाणा विधान सभा की समिति की विशेष आमंत्रित सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और उनके द्वारा किये गए अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष द्वारा उनका इस्तीफा दिनांक 27 जून, 2023 को स्वीकार कर लिया गया। तथा उनको अधिसूचना संख्या एच.वी.एस./एल.बी./पी.आर.आई.सी-1/2023-24/144, दिनांक 28 जून, 2023 के माध्यम से समिति की विशेष आमंत्रित सदस्यता से मुक्त करने की कृपा की है।

(xiii)जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सडकें)
(26 अप्रैल, 2023 को नामांकित)

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 274 (1) के तहत वर्ष 2023-2024 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सडकें)सम्बन्धी विषय समिति **का गठन** माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2022 को किया गया है | दिनांक 01.04.2023 से 29.08.2023 तक कमेटी के निम्नलिखित चेयरपर्सन/सदस्य रहे |

1.	श्री दीपक मंगला, विधायक	चेयरपर्सन
2.	मोहम्मद इलियास, विधायक	सदस्य
3.	श्री विनोद भ्याणा, विधायक	सदस्य
4.	श्री लीला राम, विधायक	सदस्य
5.	श्री धर्म सिंह छोक्कर, विधायक	सदस्य
6.	डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक	सदस्य
7.	श्री प्रवीण डागर, विधायक	सदस्य
8.	श्री मामन खान, विधायक	सदस्य
9.	श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक	सदस्य
10.	श्री संजय सिंह, विधायक	विशेष आमंत्रित
*11.	श्रीमती निर्मल रानी, विधायक	विशेष आमंत्रित

* माननीय अध्यक्ष ने श्रीमती निर्मल रानी, विधायक को वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिए अधिसूचना क्रमांक पी.एच.आई.पी. तथा पी.डब्ल्यू (बी एंड आर) सी-1/2023-2024 /143, दिनांक 05.6.2023 को हरियाणा विधानसभा की जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया है।

(xiv) शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विषय समिति।

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 279-ए के तहत वर्ष 2023-2024 की अवधि के लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विषय समिति का गठन किया गया था| दिनांक 01.04.2023 से 29.08.2023 तक इस समिति में निम्नलिखित सभापति,सदस्य और विशेष आमंत्रित रहे है-:

**1. श्री ईश्वर सिंह, विधायक	सभापति
2. श्री जगदीश नायर, विधायक	सदस्य
3. श्रीमती निर्मल रानी, विधायक	सदस्य
***4. श्री लक्ष्मण नापा, विधायक	सदस्य
5. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक	सदस्य
6. श्रीमती शैली, विधायक	सदस्य
7. श्री शीशपाल सिंह, विधायक	सदस्य
8. श्री नयन पाल रावत, विधायक	सदस्य
9. मो. इलियास, विधायक	विशेष आमंत्रित
*10. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक	विशेष आमंत्रित

---

*अधिसूचना संख्या एचवीएस/ईएंडएच/1/2023-2024/134 दिनांक 17 मई, 2023के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक का सभापति शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विषय समिति के पद से इस्तीफे को 17 मई, 2023 को सर्हष स्वीकार कर लिया।

** अधिसूचना संख्या एचवीएस/ईएंडएच/1/2023-2024/135 दिनांक 17 मई, 2023के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री ईश्वर सिंह, विधायक को वर्ष2023 - 2024की शेष अवधि के लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विषय समिति में सभापति के रूप व श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया है।

अधिसूचना संख्या एचवीएस/ईएंडएच/1/2023-2024/139 दिनांक 23 मई, 2023के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री भव्य बिश्नोई, विधायक का सदस्य ,शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विषय समिति के पद से इस्तीफे को 23 मई, 2023को सहर्ष स्वीकार कर लिया।

****अधिसूचना संख्या एचवीएस/ईएंडएच/1/2023-2024/142 दिनांक 1जून, 2023के माध्यम से माननीय अध्यक्ष ने श्री लक्ष्मण नापा, विधायक को वर्ष2023 - 2024की शेष अवधि के लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर

विषय समिति में कार्य करने के लिए सदस्य के रूप में नामित किया है।

अधिसूचना संख्या एचवीएस/ईएंडएच/1/2023-2024/146 दिनांक 21 जुलाई, 2023 के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री इंदु राज, विधायक का सदस्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विषय समिति के पद से इस्तीफे को 20 जुलाई, 2023 को सहर्ष स्वीकार कर लिया।

सभापतियों के नामों की सूची

माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 18 अगस्त 2023 को हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 13(1) के तहत अगस्त सत्र 2023 के लिए चेयरपर्सनज के नामों की सूची में निम्नलिखित सदस्यों को नामंकित किया है:-

1. श्री मोहन लाल बडोली, विधायक
2. श्रीमती निर्मल रानी, विधायक
3. श्री वरूण चौधरी, विधायक
4. श्री ईश्वर सिंह, विधायक

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

(a) The Speaker informed the House that he has received an intimation through e-mail from Shri Pardeep Chaudhary, MLA, in which he has expressed his inability to attend the Haryana Vidhan Sabha Session today i.e. 25.08.2023, due to some injury in his leg.

(b) The Speaker informed the House that he has received an intimation through e- mail from Shri Bishamber Singh, MLA, in which he has expressed his inability to attend the Haryana Vidhan Sabha Session today i.e. 28.08.2023 due to his health reasons.

(c) The Speaker informed the House that he has received an intimation through e-mail from Shri Dharam Singh Chhokar, MLA, in which he has expressed his inability to attend the Haryana Vidhan Sabha Session on 28.08.2023 and 29.08.2023 due to family essentials/issues.

संदर्भ

मुख्यमंत्री महोदय **ने** 25 अगस्त**,** 2023 को स्वर्गीयः–

1. चौधरी रणधीर सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल, सिक्किम;
2. सरदार प्रकाश सिंह बादल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब;
3. श्री रतन लाल कटारिया, संसद संदस्य;
4. श्री जय नारायण खुन्डिया, हरियाणा के भूतपूर्व उप मंत्री;
5. महाशय परमानन्द, स्वतन्त्रता सेनानी;
6. हरियाणा के शहीद;
7. रेल दुर्घटना;
8. जम्मू–कश्मीर में आतंकी हमले;
9. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख किया तथा 13 मिनट भाषण दिया।

प्रतिपक्ष के नेता, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, ने 12 मिनट भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा 1 मिनट भाषण दिया और सुझाव दिया कि हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री मोहन लाल बड़ोली के मामा श्री मांगे राम जिनका निधन 29 मई 2023 को हुआ है, का नाम भी उक्त सूची में सम्मिलित किया जाए तथा इस पर सहमति हुई।

यह निश्चित किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजे जाएं।

दिवंगतों की पुण्य–स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण किया।

मुख्यमंत्री ने 28 **अगस्त,** 2023 को हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक चौधरी रण सिंह बेनीवाल जिनका निधन 26 अगस्त, 2023 को हो गया था, के देहावसान का उल्लेख किया तथा 1 मिनट भाषण दिया।

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री आफताब अहमद ने भी एक मिनट भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा 1 मिनट भाषण दिया ।

यह निश्चित किया गया कि शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजा जाए।

दिवंगत की पुण्य–स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण किया।

विधान सभा की ओर से शोक एवं सहानुभूति का संदेश निम्नानुसार भेजा गया:-

Sr. No.	**Name of Deceased**	**Name of the person/Authority to whom massage of condolence was sent.**
1	2	3
i	Chaudhary Randhir Singh, former Governor of Sikkim	Brigadier Surender Singh Tonk S/o Late Chaudhary Randhir Singh, former Governor of Sikkim, 202 Tower-3, Near North Nirwana, Sector-50, Gurugram.
ii	Sardar Parkash Singh Badal, former Chief Minister of Punjab	Sardar Sukhbir Singh Badal, former Dy. Chief Minister of Punjab S/o Late Sardar Parkash Singh Badal, former Chief Minister of Punjab, village Badal, Tehsil Malout, District Shri Muktsar Sahib, Punjab.
iii	Shri Rattan Lal Kataria, Member of Parliament	Smt.Banto Kataria W/o Late Shri Rattan Lal Kataria, Member of Parliament, 352, MDC, Mansa Devi Temple, Sector-4, Panchkula, Haryana.
iv	Shri Jai Narain Khundia, former Deputy Minister of Haryana	Shri Bharat Bhushan Khundia S/o Late Shri Jai Narain Khundia, former Deputy Minister of Haryana, village Garnawathi, District Rohtak.
v	Chaudhary Ran Singh Beniwal, former Member of Haryana Legislative Assembly	Smt.Munni Devi D/o Late Chaudhary Ran Singh Beniwal, former Member of Haryana Legislative Assembly, village Thuiyan, District Fatehabad.
2.	**Freedom fighter of Haryana**	
i.	Mahashay Parmanand, Freedom Fighter	Shri Manoj Kumar grandson of Late Mahashay Parmanand, Freedom Fighter, village Fazilpur Badli, District Gurugram.

3.	**Train Tragedy**	
i.	Passengers who lost their lives in Bengaluru - Howrah Superfast Express, Coromandel Express and a goods train collision on June 2, 2023 in District Balasore of Odisha	The Chief Secretary, Odisha.
4.	**Terrorist Attacks in Jammu & Kashmir**	
i.	Security personnel who lost their lives in the terrorist attacks at District Poonch on April 20, 2023 and at District Rajouri on May 5, 2023 in Jammu & Kashmir	The Chief Secretary, Jammu & Kashmir
5.	**Martyrs of Haryana**	
i.	Assistant Commandant Krishan Kumar, village Kot, District Bhiwani.	Smt.Saroj Devi W/o Late Assistant Commandant Krishan Kumar, village Kot, District Bhiwani.
ii.	Inspector Rakesh Rathi, Bahadurgarh, Jhajjar.	Smt.Kaushalya Devi W/o Late Inspector Rakesh Rathi, Jatwara Bahadurgarh, District Jhajjar.
iii.	Sub Inspector Amit, village Sagarpur, District Mahendragarh.	Smt.Manjeet Devi W/o Late Sub Inspector Amit, village Sagarpur, District Mahendragarh.
iv.	Sub Inspector Attar Singh, village Sundrah, District Mahendragarh.	Smt. Lal Kaur Devi W/o Late Sub Inspector Attar Singh, village Sundrah, District Mahendragarh.
v.	Assistant Sub Inspector Naresh Kumar, village Pabnera, District Sonipat.	Smt. Sunita W/o Late Assistant Sub Inspector Naresh Kumar, village Pabnera, District Sonipat.
vi.	Assistant Sub Inspector Dalip Singh, village Dohar Kalan, District Mahendragarh.	Smt. Ram Pyari Devi W/o Late Assistant Sub Inspector Dalip Singh, village Dohar Kalan, District Mahendragarh.
vii.	Subedar Jorawar Singh, village Hindol, District Charkhi Dadri.	Smt. Babli Devi W/o Late Subedar Jorawar Singh, village Hindol, District Charkhi Dadri.
viii.	Havildar Pawan Kumar, village Nangal Pipa, District Mahendragarh.	Smt.Neeru Kumari W/o Late Havildar Pawan Kumar, village Nangal Pipa, District Mahendragarh.

ix.	Havildar Rohit Chaudhary, village Gothara Tappa Dahina, District Rewari.	Smt. Priyanka Chaudhary W/o Late Havildar Rohit Chaudhary, village Gothara Tappa Dahina, District Rewari.
x.	Havildar Robin Kumar, Julana, Jind.	Smt. Sunita Devi W/o Late Havildar Robin Kumar, village Julana, District Jind. Mob.No.-9588710736
xi.	Havildar Manoj Kumar, village Bhageshwari, District Charkhi Dadri.	Smt. Sharmila W/o late Havildar Manoj Kumar, village Bhageshwari, District Charkhi Dadri.
xii.	Havildar Sushil Kumar, village Chandpur, District Jind.	Smt.Mukesh Devi W/o Late Havildar Sushil Kumar, village Chandpur, District Jind.
xiii.	Havildar Satender Kumar, village Sarola, District Jhajjar.	Smt.Asha Devi W/o Late Havildar Satender Kumar, village Sarola, District Jhajjar.
xiv.	Havildar Jagdish, village Badhawar, District Hisar.	Smt.Pooja W/o Late Havildar Jagdish, village Badhawar, District Hisar.
xv.	Havildar Sukhdev Singh, village Patti Shahzadpur, District Kurukshetra.	Smt.Manjeet Kaur W/o Late Havildar Sukhdev Singh, village Patti Shahzadpur, District Kurukshetra.
xvi.	Havildar Krishan Kumar, village Ishaq, District Kurukshetra.	Smt.Rekha Rani W/o Late Havildar Krishan Kumar, village Ishaq, District Kurukshetra.
xvii.	Havildar Jitender Singh, village Birohar, District Jhajjar.	Smt.Reena W/o Late Havildar Jitender Singh, village Birohar, District Jhajjar.
xviii.	Havildar Sombir, village Sikri, District Karnal.	Smt.Suman Devi W/o Late Havildar Sombir, village Sikri, District Karnal.
xix.	Sergeant Manjeet Singh, village Banihari, District Mahendragarh.	Smt.Manju Devi W/o Late Sergeant Manjeet Singh, village Banihari, District Mahendragarh.
xx.	Leading Aircraftman Amit Kumar, village Nehrunagar, District Mahendragarh.	Smt. Pooja W/o Late Leading Aircraftman Amit Kumar, village Nehrunagar, District Mahendragarh.
xxi.	Naik Sonu Jangra, village Juglan, District Hisar.	Smt.Bhateri M/o Late Naik Sonu Jangra, village Juglan, District Hisar.
xxii.	Naik Sonu Ram, village Balawas, District Hisar.	Smt.Ramo Devi W/o Late Naik Sonu Ram, village Balawas, District Hisar.

xxiii.	Naik Shobhit Singh, village Balerkha, District Jind.	Shri Raghubir Singh F/o Late Naik Shobhit Singh, village Balerkha, District Jind.
xxiv.	Naik Vinod Kumar, village Khatkar, District Jind.	Smt.Manjeet W/o Late Naik Vinod Kumar, village Khatkar, District Jind.
xxv.	Lance Naik Amit Kumar, village Handi Khera, District Sirsa.	Smt.Sushma W/o Late Lance Naik Amit Kumar, village Handi Khera, District Sirsa.
xxvi.	Lance Naik Tejpal Singh, village Sangel, District Nuh.	Smt.Meenu W/o Late Lance Naik Tejpal Singh, village Sangel, District Nuh.
xxvii.	Airman Sahil Maan, village Mahmudpur, District Sonipat.	Shri Sanjay Maan F/o Late Airman Sahil Maan, village Mahmudpur, District Sonipat.
xxviii.	Gunner Manmohan, village Bahin, District Palwal.	Smt.Chanchal W/o Late Gunner Manmohan, village Bahin, District Palwal.
xxix.	Sepoy Pawan Kumar, village Kharal, District Jind.	Smt.Sonia W/o Late Sepoy Pawan Kumar, village Kharal, District Jind.
xxx.	Sepoy Rajeet Tomar, village Gudhan, District Rohtak.	Smt.Ritu W/o Late Sepoy Rajeet Tomar, village Gudhan, District Rohtak.
xxxi.	Sepoy Mahesh, village Jarwa, District Mahendragarh.	Smt.Nikku Devi W/o Late Sepoy Mahesh, village Jarwa, District Mahendragarh.
xxxii.	Sepoy Naresh Kumar, village Niamatpur, District Mahendragarh.	Smt.Anu W/o Late Sepoy Naresh Kumar, village Niamatpur, District Mahendragarh.
xxxiii.	Sepoy Vikram Singh, village Sesoth, District Mahendragarh.	Smt.Suman Devi W/o Late Sepoy Vikram Singh, village Sesoth, District Mahendragarh.
xxxiv.	Sepoy Narender Kumar, village Lalawas, District Bhiwani.	Smt.Sunita W/o Late Sepoy Narender Kumar, village Lalawas, District Bhiwani.
xxxv.	Sepoy Mukesh Kumar Tanwar, village Tigrana, District Bhiwani.	Smt.Neelam Devi W/o Late Sepoy Mukesh Kumar Tanwar, village Tigrana, District Bhiwani.
xxxvi.	Sepoy Balwinder Singh, village Geong, District Kaithal.	Smt.Rimpi W/o Late Sepoy Balwinder Singh, village Geong, District Kaithal.

xxxvii.	Sepoy Manish Kumar, village Todi Kheri, District Jind.	Smt.Manisha Devi W/o Late Sepoy Manish Kumar, village Todi Kheri, District Jind.
xxxviii.	Sepoy Ravinder, village Bithla, District Jhajjar.	Smt.Sweety W/o Late Sepoy Ravinder, village Bithla, District Jhajjar.
xxxix.	Sepoy Sikandar, village Beri, District Jhajjar.	Smt.Jassu Devi W/o Late Sepoy Sikandar, village Beri, District Jhajjar.
xl.	Sepoy Ankit Kundu, village Gaddi Kheri, District Rohtak.	Smt.Preeti W/o Late Sepoy Ankit Kundu, village Gaddi Kheri, District Rohtak.
xli.	Sepoy Jaswinder Singh, village Bakana, District Kurukshetra.	Shri Balwinder Singh F/o Late Sepoy Jaswinder Singh, village Bakana, District Kurukshetra.
xlii.	Navik Mohit, village Ladain, District Jhajjar.	Shri Dharamvir F/o Late Navik Mohit, village Ladain, District Jhajjar.
6.	**Common**	
i.	Smt. Chann Kaur, grandmother of Shri Brijendra Singh, MP	Shri Brijendra Singh, MP, grandson of Late Smt. Chann Kaur, 16/Talkatora Road, New Delhi.
ii.	Smt.Kanta Devi, aunt of Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA	Dr.Raghuvir Singh Kadian, MLA, nephew of Late Smt.Kanta Devi, H.No.1243, Sector-2, Rohtak.
iii.	Shri Alauddin, uncle and Smt. Kamali, aunt of Chaudhary Aftab Ahmed, MLA	Chaudhary Aftab Ahmed, MLA, nephew of Late Shri Alauddin and Late Smt. Kamali, village Khanpur, District Nuh.
iv.	Shri Rajender Singh Malik, brother of Shri Jagbir Singh Malik, MLA	Shri Jagbir Singh Malik, MLA, brother of Late Shri Rajender Singh Malik, Ward No.6, Tehsil Road, Gohana, District Sonipat.
v.	Smt.Ompati Devi, mother of Smt.Nirmal Rani, MLA	Smt.Nirmal Rani, MLA, daughter of Late Smt. Ompati Devi, Tyagi Enclave, near Court Parishar, Gannaur, District Sonipat.
vi.	Shri Ratish Mohan, brother of Shri Gopal Kanda, MLA	Shri Gopal Kanda, MLA, brother of Late Shri Ratish Mohan, Kanda Mahal, Sirsa.

vii.	Smt.Vidya Devi, aunt of Shri Rajender Singh Joon, MLA	Shri Rajender Singh Joon, MLA, nephew of Late Smt.Vidya Devi, H.No.1999, Sector-2, Bahadurgarh, District Jhajjar.
viii.	Shri Jamaluddin, uncle of Shri Mamman Khan, MLA	Shri Mamman Khan, MLA, nephew of Late Shri Jamaluddin, village Bhadas, Nagina, District Nuh.
ix.	Shri Mange Ram, uncle of Shri Mohan Lal Badoli, MLA	Shri Mohan Lal Badoli, MLA, nephew of Late Shri Mange Ram, H.No.410, Sector-15, Sonipat.

वित्तीय कार्य

I. Excess Demands Over Grants for the years-2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018.

Excess Demands Over Grants for the years 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018 are presented on the 28th August, 2023 and discuss and voted on the same day i.e. 28th August, 2023. There were 2 Demands for Grants totaling a sum of ₹2,55,14,40,437/- for the year 2011-2012, 4 Demands for Grants totaling a sum of ₹418,86,51,149/- for the year 2012-2013, 2 Demands for Grants totaling a sum of ₹3236412323/- for the year 2013-2014, 1 Demands for Grants totaling a sum of ₹4,02,89,46,351/- for the year 2014-2015, 2 Demands for Grants totaling a sum of ₹14,10,24,82,712/- for the year 2015-2016, 2 Demands for Grants totaling a sum of ₹1,77,90,91,431/- for the year 2016-2017 and 2 Demands for Grants totaling a sum of ₹4,66,72,04,146 /- for the year 2017-2018.

The Excess Demands Over Grants totaling a sum of ₹41,53,84,671 for the Year 2018-2019 are charged and same are not voted in the House.

According to the previous practice and to save the time of the House all the demands for Grants on order paper for the year 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018 were deemed to have been read and moved together and general discussion on the demands were permitted.

Shri Bhupinder Singh Hooda, Leader of Opposition and Shri Bharat Bhushan Batra, MLA from Indian National Congress were spoken 1 minute each.

Demand Nos. 17 and 24 for the year 2011-2012 were put together and carried.

Demand Nos. 6, 21, 24 and 38 for the year 2012-2013 were put together and carried.

Demand Nos. 6, and 24 for the year 2013-2014 were put together and carried.

Demand No. 24 for the year 2014-2015 was put and carried

Demand Nos. 4 and 24 for the year 2015-2016 were put together and carried.

Demand Nos. 14 and 24 for the year 2016-2017 were put together and carried.

Demand Nos. 6 and 24 for the year 2017-2018 were put together and carried

II. THE SUPPLEMENTARY ESTIMATES –2023-2024 (FIRST INSTALMENT)

The Supplementary Estimates-2023-2024 (First Instalment) were presented by the Finance Minister to the Sabha on the 28th August, 2023 and voted on the same day i.e. 28th August, 2023.

There were 16 Demands in all totaling ₹92215020000/-.

According to previous practice and to save the time of the House, the demands on the order paper (No. 1 to 7, 10 to 12, 14 to 17 & 19 to 20) were deemed to have been read and moved together and a general discussion on the Supplementary Demands permitted. The Members were requested to indicate the demand No. on which they wished to raise discussion.

No member rose to speak.

Demand Nos. 1 to 7 were put together and carried.

Demand No. 10 to 12 were put together and carried.

Demand Nos. 14 to 17 were put together and carried.

Demand Nos. 19 to 20 were put together and carried.

III THE HARYANA APPROPRIATION (NO.3) BILL, 2023.

The Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2023 (Bill No.15-HLA of 2023) in respect of Supplementary Estimates for the year 2023-2024 (First Instalment) voted by the House on the 29th August, 2023 was introduced and considered on the 29th August, 2023. There were 16 Demands in all totaling a sum of ₹ 9190,82,70,000/-.

The Bill was passed.

IV THE HARYANA APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 2023.

The Haryana Appropriation (No.4) Bill, 2011 (Bill No. 16-HLA of 202023) in respect of Excess Demands Over Grants for the years 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018 voted by the House on 28th August, 2023 was introduced and considered on the 29th August, 2023. There were 3 Demands for Grants totaling a sum of ₹263,44,69,600/- for the year 2011-2012, 4 Demands for Grants totaling a sum of ₹428,10,20,008/- for the year 2012-2013, 2 Demands for Grants totaling a sum of ₹329,67,50,893/- for the year 2013-2014, 3 Demands for Grants totaling a sum of ₹406,35,55,367/- for the year 2014-2015, 4 Demands for Grants totaling a sum of ₹1414,23,83,817/- for the year 2015-2016, 4 Demands for Grants totaling a sum of ₹256,98,07,690/- for the year 2016-2017, 2 Demands for Grants totaling a sum of ₹540,59,69,373/- for the year 2017-2018 and 3 Demands for Grants totaling a sum of ₹41,53,84,671 /- for the year 2018-2019.

The Bill was passed.

विधायी कार्य

सभा ने 25.08.2023, 28.08.2023 और 29.08.2023 को विधायी कार्य पर विचार किया। सभा ने वर्ष 2023-2024 के पूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) एवं वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के लिए अनुदानों एवं विनियोगों से अधिक माँगों के संबंध में दो विनियोग विधेयकों सहित नौ (9) विधेयकों को पारित किया (तालिका देखें) ।

तालिका

Sr. No.	Title of the Bill	Bill No	Minister for Move Introducing/ Passing	Date of Introducing	Date of Consideration	Number of Speeches T- O- I	Time taken in minutes T- O- I	Amendment Proposed T- O- I	Amendment Carried T- O- I	Amendment Lost T- O- I	Total approximate time taken for disposal in minutes (includes the time taken for stating the motion)	Date of passing
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023	Bill No. 8-HLA of 2023	शहरी स्थानीय निकाय मंत्री/ मुख्यमंत्री	28.08.2023	29.08.2023	- 2 -	- 3 -	- - -	- - -	- - -	5	29.08.2023
2.	हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023	Bill No. 9-HLA of 2023	शहरी स्थानीय निकाय मंत्री	25.08.2023	28.08.2023	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3	28.08.2023
3.	हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023	Bill No. 10-HLA of 2023	शहरी स्थानीय निकाय मंत्री	25.08.2023	28.08.2023	4 5 -	11 7 -	- - -	- - -	- - -	20	28.08.2023

4.	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023	Bill No. 11-HLA of 2023	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री/ मुख्यमंत्री	25.08.2023	28.08.2023	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- - -	4	28.08.2023
5.	हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023	Bill No. 12-HLA of 2023	उप मुख्यमंत्री	28.08.2023	29.08.2023	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3	29.08.2023
6.	हरियाणा वाद्य (शोर-नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023	Bill No. 13-HLA of 2023	उप मुख्यमंत्री/ गृह मंत्री	28.08.2023	29.08.2023	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4	29.08.2023
7.	हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023	Bill No. 14-HLA of 2023	उप मुख्यमंत्री/ गृह मंत्री	28.08.2023	29.08.2023	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2	29.08.2023

8.	हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023	Bill No. 15-HLA of 2023	मुख्यमंत्री	29.08.2023	29.08.2023	2 5 -	5 33 -	- - -	- - -	- - -	40	29.08.2023
9.	हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023	Bill No. 16-HLA of 2023	मुख्यमंत्री	29.08.2023	29.08.2023	- - -	- - -	- - -	- -	- - -	2	29.08.2023

T – Treasury

O- Opposition

I- Independent

विधेयकों का सारांश

1. The Sonipat Metropolitan Development Authority Bill, 2023 **(Bill No. 8-HLA of 2023) (Introduced on 28.08.2023 and passed on 29.08.2023).** This Bill seeks to develop a vision for the continued, sustained and balanced growth of the Sonipat Metropolitan Area through quality of life and reasonable standard of living provided to residents through generation of employment opportunities, to provide for integrated and coordinated planning, infrastructure development and provision of urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development, to redefine the urban governance and delivery structure in coordination with local authorities in the context of the emergence of Sonipat as a rapidly expanding urban agglomeration, to establish a statutory Authority for the said purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.
2. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2023 **(Bill No. 9-HLA of 2023) (Introduced on 25.08.2023 and passed on 28.08.2023).** This Bill seeks to amend the Haryana Municipal Act 1973 to reservation for Backward Classes 'A' in the elections of municipalities. The Reservation of seats for Backward Classes 'A' and fixation of total number of seats for each municipality shall be done on the basis of population figures including that of Backward Classes 'A' drawn from Family Information Data Repository established under the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date as may be notified by the Government and further that if town planning scheme is applied from an individual or a company then the resolution from the committee is not required and resolution is only required if the committee draws a town planning scheme for the unbuilt area and built up scheme for the built area on the committee land or jointly with an individual or a company and also that in case Town Planning Scheme is applied by an individual or a company on its own land then public notice is not required to be issued.
3. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2023 **(Bill No. 10-HLA**

of 2023) (Introduced on 25.08.2023 and passed on 28.08.2023). This Bill seeks to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 to reservation for Backward Classes ‘A’ in the elections of Municipal Corporations. Reservation of seats for Backward Classes ‘A’ and fixation of total number of seats for each Corporation shall be done on the basis of population figures including that of Backward Classes ‘A’ drawn from Family Information Data Repository established under the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date as may be notified by the Government and further if town planning scheme is applied from an individual or a company then the resolution from the corporation is not required and resolution is only required if the Corporation draws a town planning scheme for the unbuilt area and built up scheme for the built area on the corporation land or jointly with an individual or a company.

4. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2023 **(Bill No. 11-HLA of 2023) (Introduced on 25.08.2023 and passed on 28.08.2023).** This Bill seeks to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 to allow registration of independent floors in case of commercial plots forming part of licenced colonies also.

5. The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 **(Bill No. 12-HLA of 2023) (Introduced on 28.08.2023 and passed on 29.08.2023).** This Bill seeks to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 on the basis of the recommendations made by the GST Council and on the lines of amendments carried out in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 by Finance Act, 2023 (Central Act 8 of 2023) and Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (Central Act 30 of 2023).

6. The Haryana Instruments (Control of Noises) Repeal Bill, 2023 **(Bill No. 13-HLA of 2023) (Introduced on 28.08.2023 and passed on 29.08.2023).** This Bill seeks to repealing of the Haryana Instruments (Control of Noises) Act, 1956 (Punjab Act No. 36 of 1956) as the all provisions of this Act are covered under the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No.29 of 1986) and Noise Pollution (Regulation and Control), Rules, 2000, which extends to the whole of

India.

7. **The Haryana Juvenile Smoking Repeal Bill, 2023 (Bill No. 13-HLA of 2023) (Introduced on 28.08.2023 and passed on 29.08.2023).** This Bill seeks to repealing of the Haryana Juvenile Smoking Act, 1918 (Punjab Act No. 7 of 1918) as the all provisions of this Act are duly covered under the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (Central Act No 34 of 2003) which extends to the whole of India.
8. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2023 **(Bill No. 15-HLA of 2023) (Introduced on 29.08.2023 and passed on 29.08.2023).** This Bill seeks to introduced in pursuance of articles 204 (1) and 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Haryana of the sums required to meet the supplementary grants made by the Legislative Assembly for expenditure for the financial year 2023-24.
9. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2023 **(Bill No. 16-HLA of 2023) (Introduced on 17.03.2023 and passed on 17.03.2023).** This Bill seeks to introduced in pursuance of Article 204(1) of the Constitution of India, read with Article 205(1) thereof to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Haryana for the moneys required to meet the expenditure on account of excess over grants and appropriations for the years 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19.

प्रस्ताव

(i)सरकारी

(i) लोक ऋण अधिनियम, 1944 एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में संशोधन के निरसन के बारे में।

मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष की अनुमति से 28 अगस्त, 2023 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"चूंकि हरियाणा विधान सभा का मानना है कि राज्यों के लोक ऋणों और इससे संबंधित या आनुषंगिक और प्रासंगिक सभी मामलों का विनियमन करने हेतु सम्पूर्ण भारत में समान विधि होना वांछनीय है;

और चूंकि, 2006 में, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा इसके प्रबन्धन से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) अधिनियमित किया। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) कथित करती है कि यह अधिनियम ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों को लागू होता है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् सृजित और निर्गमित की गई हैं। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 की उप-धारा (1) उपबन्ध करती है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का उन सरकारी प्रतिभूतियों को जिनको यह अधिनियम लागू होता है, और सभी मामलों को भी, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किए गए हैं, लागू होना समाप्त हो जाएगा। तथापि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) लागू रहेगा;

और चूंकि, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु मामले की जांच की गई तथा यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कतिपय प्रतिभूतियां/मदें भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में इस अधिनियम के अधीन अब तक बकाया हैं। इसलिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के ऐसे उपबन्धों को सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक लाने के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) के अधीन उन्हें सम्मिलित करते हुए प्रभाव देना अपेक्षित है। तदानुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में निम्नलिखित मुख्य संशोधनों को सम्मिलित करने

हेतु सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में विचाराधीन है,-

(1) जम्मू और कश्मीर राज्य, जहां भी यह भूतपूर्व राज्य की वर्तमान स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में प्रतीत होता है, जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 34) के माध्यम से दो केन्द्र शासित प्रदेशों को मान्यता दी गई है, के संदर्भ का लोप करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 1 में संशोधन करने हेतु;

(2) विनिर्दिष्ट रूप से उनकी गैर-अन्तरणीयता को व्यावृत्त करने के लिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की विशेषताओं को सम्मिलित करने के लिए, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 2 में यथा उपबन्धित ''सरकारी प्रतिभूति'' की परिभाषा को संशोधित करने हेतु और धारा 5 को भी संशोधित करने हेतु; तथा

(3) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) को निरसित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु और लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन की गई कतिपय कार्रवाईयों/ बकाया मदों की व्यावृत्ति के लिए भी उपबन्ध करने हेतु सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 तथा धारा 35 को संशोधित करने हेतु;

और चूंकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की विषय-वस्तु भी राज्य सूची में प्रविष्टि से संबंधित है, यह संकल्प किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के उपबन्धों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में आवश्यक संशोधन किया जाए;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह सभा, इसके द्वारा, संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित मामलों और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक या प्रासंगिक सभी अन्य मामलों को विधि द्वारा विनियमित करने के लिए संसद को सशक्त किया जाए।"

और 5 मिनट्स भाषण दिया।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक और श्रीमती किरण चौधरी ने भी इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कुछ पल के लिए भाषण दिया।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बारे में कुछ पल के लिए भाषण दिया और स्थिति स्पष्ट की।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(ii) चन्द्रयान–3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बारे में ।

मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष की अनुमति से 29 अगस्त, 2023 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"'कि चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग से हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवांवित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ-साथ यह गरिमामय सदन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य सभी अभिकरणों, जिन्होंने इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है, उन्हें बधाई देता है। यह राष्ट्रीय उपलब्धि अमृत काल की शुभ बेला में प्राप्त हुई है। यह अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्त्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। यह बड़े सम्मान की बात है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की यह घोषणा कि चंद्रयान-3 का लैंडिंग प्वाइंट अब से 'शिव शक्ति' कहा जाएगा और चंद्रयान-2 के इंपेक्ट प्वाइंट का नाम 'तिरंगा' होगा, नये भारत के विजन को दर्शाती है। इसमें विफलता के बावजूद भी साहस है और राष्ट्रीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने, नवोन्मेषी ढंग से मिलकर काम करने का जज्बा है भारत की यह भावना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इस उद्धरण में सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होती है। मैं उसे उघृत करना चाहूंगा 'यह वह भारत है, जो अंधेरे क्षेत्रों में भी जाता है और प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करता है। यह गरिमामय सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करता है, जिन्होंने चंद्रयान-2 के लैंडिंग सफल न होने पर इसरो के वैज्ञानिकों को सांत्वना दी और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्हें चांद की ऐसी सतह पर पहुंचने का लक्ष्य दिया, जहां अतीत में कोई देश नहीं पहुंचा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई ताकत दी और जोश भरा। चंद्रयान-2 की लैंडिंग के प्रयासों के बाद के क्षण व एक करूणामय नेता का विजन, जिसने लोगों को वह हासिल करने के लिए इस्पात जैसी ताकत व दृढ़ संकल्प प्रदान किया। यह हर भारतीय के मन में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। यह गरिमामय सदन हरियाणा व हरियाणा के लोगों के चंद्रयान-3 मिशन में अहम भूमिका निभाने की सराहना करता है। हरियाणा में उन्नत उद्योग और प्रौद्योगिकी के कारण रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद और हिसार से मंगवाए गए परिष्कृत उपकरण इसका आधार बने। यह गरिमामय सदन इस राष्ट्रीय उपलब्धि में हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता है। इनके नाम हैं -अम्बाला की आरूषि, हिसार के यज्ञ मलिक, भिवानी के देवेश ओला व अमित, करनाल के दीपांशु गर्ग व एश्वर्या, फतेहबाद के आदित्य सेठी, दादरी की कविता। चंद्रयान मिशन और रोवर प्रज्ञान द्वारा भेजे गये चित्रों से नये वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा मिलेगा और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से समस्त मानव जाति, विशेषकर ग्लोबल साउथ के लिए नई जानकारी उपलब्ध होगी। यह गरिमामय सदन लोगों की भावनाओं से ओतप्रोत इस बधाई

प्रस्ताव की एक-एक प्रति भारत सरकार, इसरो और अन्य अंतरिक्ष संगठनों को भेजने पर खुशी का अनुभव कर रहा है।' जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान"

और 4 मिनट्स भाषण दिया।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नीरज शर्मा और डा. रघुवीर सिंह कादियान ने क्रमशः कुछ पल के लिए एवं 4 मिनट्स भाषण दिया।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री अभय सिंह यादव ने 1 मिनट भाषण दिया।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी कुछ पल के लिए भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी

1.	प्राप्त नोटिस की संख्या	सरकारी पक्ष -	शून्य
		विपक्ष -	1
2.	स्वीकृत हुए	सरकारी पक्ष -	शून्य
		विपक्ष -	शून्य
3.	अस्वीकृत हुए	सरकारी पक्ष -	शून्य
		विपक्ष -	1
4.	समाप्त हुए	सरकारी पक्ष -	शून्य
		विपक्ष -	शून्य
5.	वापस भेजे गए	सरकारी पक्ष -	शून्य
		विपक्ष -	शून्य
6.	नवीकृत किये गए		शून्य
7.	जिनको इस निर्णय के कारण नहीं निपटाया गया कि किसी एक सदस्य के एक से अधिक संकल्पों को गैर अधिकारिक दिन के लिए स्वीकृत नहीं किया जायेगा		शून्य
8.	बैलट के लिए संकल्पों की कुल संख्या		शून्य
9.	आयोजित बैलटों की संख्या		शून्य
10.	जिस तारीख को बैलट हुआ		शून्य
11.	दिनांक जिस पर सरकारी कार्य के अलावा कार्य किया गया		शून्य

("नेवा" पोर्टल के माध्यम से)रिपोर्ट प्रस्तुत की/रखी गई

क्रमांक	किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	दिनांक	विषय
1.	अध्यक्ष	25.08.2023	कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

कागज–पत्र **प्रस्तुत किये गये**/रखे गए /पुनः रखे गए

क्रमांक	**किसके द्वारा प्रस्तुत**/रखे गए /पुनः रखे गए	**तारीख जिस पर प्रस्तुत**/रखे गए /पुनः रखे गए	**विषय**
1	**2**	**3**	**4**
1.	सचिव	25 अगस्त, 2023	हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर, सत्र, 2022 तथा फरवरी-मार्च सत्र, 2023 में हुए में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज रखा।
2.	संसदीय कार्यमंत्री	उपर्युक्त	हरियाणा नगरपालिका) संशोधन (अध्यादेश ,2023)2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या1) मेज पर रखेंगे।
3.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा नगर निगम) संशोधन (अध्यादेश ,2023)2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या2) मेज पर रखेंगे।
4.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /6जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023मेज पर रखेंगे।
5.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /7जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023मेज पर रखेंगे।
6.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /8जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023मेज पर रखेंगे।

7.	संसदीय कार्यमंत्री	25 अगस्त, 2023	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /9जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023मेज पर रखेंगे।
8.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /10जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज रखेंगे।
9.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /11जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज पर रखेंगे।
10.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /12जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज पर रखेंगे।
11.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /13जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज पर रखेंगे।
12.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /14जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज पर रखेंगे।

13.	संसदीय कार्यमंत्री	25 अगस्त, 2023	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /15जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023मेज पर रखेंगे।
14.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /16जी.एस.टी-2, दिनांकित 9 मई, 2023मेज पर रखेंगे।
15.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /17जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मई, 2023मेज पर रखेंगे।
16.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /33जी.एस.टी-2, दिनांकित 2 7जुलाई, 2023मेज पर रखेंगे।
17.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /34जी.एस.टी-2, दिनांकित 2 7जुलाई, 2023मेज पर रखेंगे।
18.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /35जी.एस.टी-2, दिनांकित 2 7जुलाई, 2023मेज पर रखेंगे।

19.	संसदीय कार्यमंत्री	25 अगस्त, 2023	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /36जी.एस.टी-2, दिनांकित 2 7जुलाई, 2023मेज पर रखेंगे।
20.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /37जी.एस.टी-2, दिनांकित 2 7जुलाई, 2023मेज पर रखेंगे।
21.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /38जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023मेज पर रखेंगे।
22.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /39जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023मेज पर रखेंगे।
23.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /40जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023मेज पर रखेंगे।
24.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /41जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023मेज पर रखेंगे।

25.	संसदीय कार्यमंत्री	25 अगस्त, 2023	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या /42जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023मेज पर रखेंगे।
26.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारियों) सेवा की भर्ती एवं शर्तें (अधिनियम ,2018 की धारा 26 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार मानव संसाधन विभाग अधिसूचना संख्या13/13 /2018- 4जी.एस-.II, दिनांकित 5 मई, 2022मेज पर रखेंगे।
27.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम ,2013 की धारा 394 (ख (के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष2021 - 22के लिए माल और सेवा कर ढांचा की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
28.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम ,2013 की धारा 395 (ख (के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 46 वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय स्थिति विवरण मेज पर रखेंगे।
29.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम ,2013 की धारा 395 (ख (के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष2021 - 22के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 23 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
30.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम, 2013की धारा 395 (ख (के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष-2021 202 2के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 25 वीं वार्षिक वित्त रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
31.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993की धारा, 28(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष -20212 2के लिए हरियाणा मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

32.	संसदीय कार्यमंत्री	25 अगस्त, 2023	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा, 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021- 2022के लिए हरियाणा वित्तीय निगम की 55 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
33.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की53 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
34.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम, 2013की धारा 395 (1) (ख (के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष-2020 2 1 के लिए हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
35.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक) कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते (अधिनियम, 1971की धारा19 -क (1))3 (के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष20 20-2021 के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लेखा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे मेज पर रखेंगे।
36.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड) 2 (के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति योजना) वर्ष 2023 की रिपोर्ट संख्या 3) की कार्य प्रणाली की निष्पादन लेखा परीक्षा पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
37.	उपर्युक्त	29 अगस्त, 2023	हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारियों) सेवा की भर्ती एवं शर्तें (अधिनियम ,2018 की धारा26 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार मानव संसाधन विभाग अधिसूचना संख्या 01/07/2023-2 सी.सी-आई, दिनांकित 18 मई, 2023 मेज पर रखेंगे।

38.	संसदीय कार्यमंत्री	29 अगस्त, 2023	हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम ,2021 की धारा 45 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग अधिसूचना संख्या 02/06/2022-1 सी.आर .आई.डी, दिनांकित 8 अगस्त, 2022 मेज पर रखेंगे।
39.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम ,2021 की धारा 46 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग अधिसूचना संख्या एच.पी.पी.ए./रजि०-01, दिनांकित 28 अगस्त, 2023 मेज पर रखेंगे।
40.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम ,2021 की धारा 46 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग अधिसूचना संख्या एच.पी.पी.ए./रजि०-02, दिनांकित 28 अगस्त, 2023 मेज पर रखेंगे।

नियम 66 व 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव

क्रमांक	सदस्य/सदस्यों का नाम	दिनांक	विषय	टिप्पणी
	1. Smt. Kiran Choudhary, MLA 2. Shri Pardeep Chaudhary, MLA 3. Shri Shamsher Singh Gogi, MLA	13.08.2023	Regarding the despair, mental, trauma and despondency caused to the youth in Haryana due to defective and opaque processes followed in CET (Common Eligibility Test) and public recruitments by the Haryana Government.	Adjournment Motion No. 1 has been disallowed by the Hon'ble Speaker on the ground that the matter lacks urgency.
	1. श्री ईश्वर सिंह, विधायक 2. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक 3. श्री शीशपाल सिंह, विधायक	16.08.2023	बाढ़ के कारण प्रदेश में उत्पन्न हालतों के बारे ।	स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 में परिवर्तित करके स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 साथ संलग्न करके

	4. श्री जगदीश नायर, विधायक 5. श्री लक्ष्मण नापा, विधायक			स्वीकृत किया गया ।
	1. Shri Raghuvir Singh Kadian, MLA 2. Smt. Geeta Bhukkal, MLA 3. Shri Shamsher Singh Gogi, MLA 4. Shri Shishpal Singh, MLA 5. Shri Jagbir Singh Malik, MLA 6. Shri Bharat Bhushan Batra, MLA 7. Shri Aftab Ahmad, MLA	17.08.2023	Motion of Adjournment on law and order and recent violence in the State.	Lapse on Prorogation.
	1. Shri Indu Raj, MLA 2. Shri Shishpal Singh, MLA 3. Shri Jagbir Singh Malik, MLA 4. Shri Jaiveer Singh, MLA 5. Shri Pardeep Chaudhary, MLA 6. Smt. Renu Bala, MLA 7. Smt. Geeta Bhukkal, MLA	17.08.2023	Regarding damage due to recent floods in the State.	Adjournment Motion No.4 converted into Calling Attention Notice No. 27 and clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 20.

नियम 73 के तहत ध्यानाकर्षण सूचनाएं

क्रमांक	सदस्य/सदस्यों का नाम	दिनांक	विषय	टिप्पणी
1.	श्रीमती, किरण चौधरी, विधायक	25.07.2023	CET के तहत युवाओं द्वारा विभिन्न समस्याओं से जूझने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 का विषय न्यायालय में विचाराधीन है तथा यह ध्यानाकर्षण सूचना राज्यपाल महोदय के द्वारा अधिवेशन आमंत्रित होने से पहले हरियाणा विधान सभा में प्राप्त हुई है इसलिए ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है |
1(अ)	श्री नीरज शर्मा, विधायक	01.08.2023	हरियाणा में बाढ़ के कारण हुए नुकसान बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1(अ) राज्यपाल महोदय के द्वारा अधिवेशन आमंत्रित होने से पहले हरियाणा विधान सभा में प्राप्त हुई है इसलिए ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1(अ) को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है |
2.	Sh. Jagbir Singh Malik, MLA	05.08.2023	Regarding crop damage due to heavy rains & compensation to farmers.	Calling Attention No. 2 has been received in this Secretariat before the date of summoning of the Haryana Vidhan Sabha i.e. 7th August, 2023. It is

				well established practice in Haryana Vidhan Sabha that the Calling Attention Notices received before Summoning of Session, are generally disallowed.
3.	Sh. Jagbir Singh Malik, MLA Sh. Indu Raj, MLA	07.08.2023	Regarding demand of Old Pension Scheme for employees & demands of Sarv Karamchari Sangh, Clerical Staff, Anubandhit Vidyut Karamchari, Universities Contractual Teachers (HUCTA) etc.	In this connection, it is submitted that Calling Attention Notice No. 3 given by Sh. Jagbir Singh Malik & one other MLA disallowed on the following grounds: - 1. That the matter is not of recent occurrence. 2. That the matter Lacks urgency.
4.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	07.08.2023	परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष आय के साथ जोड़ने से बुजुर्गों की पेंशन कटने बारे |	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में हाल की पुनरावृत्ति नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है |

5.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	07.08.2023	खिलाडियों के साथ अपराधिक घटनाओं के कारण उनमें निराशा बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 5 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।
6.	Sh. Jagbir Singh Malik, MLA	08.08.2023	Regarding crop damage due to heavy rains & compensation to farmers.	**Clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 20 for dated 25.08.2023.**
7.	Sh. Jagbir Singh Malik, MLA Sh. Indu Raj, MLA	08.08.2023	Regarding demand of Old Pension Scheme for employees & demands of Sarv Karamchari Sangh, Clerical Staff, Anubandhit Vidyut Karamchari, Universities Contractual Teachers (HUCTA) etc.	In this connection, it is submitted that Calling Attention Notice No. 7 given by Sh. Jagbir Singh Malik & one other MLA disallowed on the following grounds: - 1. That the matter is not of recent occurrence. 2. That the matter Lacks urgency.

8.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	08.08.2023	प्रदेश के नूहं जिले में 31 जुलाई, 2023 को हुई हिंसक घटना बारे ।	**Lapse on Prorogation.**
9.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	08.08.2023	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग बारे ।	**दिनांक 29.08.2023 के लिए स्वीकृत** ।
10.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	08.08.2023	प्रोपर्टी आई.डी. में तकनीकी खामियों बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।
11.	श्री बलराज कुंडू, विधायक	08.08.2023	हरियाणा में CET में व्याप्त विसंगतियों के सम्बन्ध में।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 11 का विषय न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 11 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत

				कर दिया गया है ।
12	श्री बलराज कुंडू, विधायक	09.08.2023	भारी बारिश से जलभराव की समस्या का उचित समाधान करने बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 समान विषय पर होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न करके, स्वीकृत कर दिया गया ।
13	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	09.08.2023	प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है| 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।
14	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	09.08.2023	जुलाई में आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश के किसानों की फसलों व आम नागरिकों के जानमाल का भारी नुकसान बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 समान विषय पर होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न करके, स्वीकृत कर

				दिया गया है ।
15	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	09.08.2023	प्रदेश में बेरोजगारी बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।
16	Sh. Bharat Bhushan Batra, MLA Sh. Aftab Ahmed, MLA Sh. Subhash Gangoli, MLA Sh. Balbir Singh, MLA	09.08.2023	Regarding Controversies due to their erroneous working of H.P.S.C and H.S.S.C.	In this connection, it is submitted that Calling Attention Notice No. 16 given by Sh. Bharat Bhushan Batra, MLA & three other MLAs disallowed on the following grounds: 1. That the matter is not of recent occurrence. 2. That the matter Lacks urgency.

17	श्री मेवा सिंह, विधायक श्री बिशन लाल, विधायक	09.08.2023	सरस्वती नदी की खुदाई करने बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 समान विषय पर होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न करके, स्वीकृत कर दिया गया है ।
18	Smt. Geeta Bhukkal, MLA	10.08.2023	Regarding Controversies due to their erroneous working of H.P.S.C and H.S.S.C.	In this connection, it is submitted that Calling Attention Notice No. 18 given by Smt. Geeta Bhukkal, MLA disallowed on the following grounds: 1. That the matter is not of recent occurrence. 2. That the matter Lacks urgency.
19	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	11.08.2023	सरकार की गलत नीतियों की वजह से लाखों शिक्षित युवा सीईटी की परीक्षा में उलझने बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19 का विषय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया है ।
20	1. श्री वरूण चौधरी, विधायक 2. श्री बिशन लाल,	07.08.2023	हाल की भारी बारिश के कारण अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद,	अल्प अवधि चर्चा संख्या 1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 में परिवर्तित करके दिनांक 25.08.2023 के लिए स्वीकृत कर दिया गया ।

	विधायक 3. श्री मेवा सिंह, विधायक		पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल आदि जिलों में जलभराव होने से जान माल का बहुत नुकसान होने बारे ।	
21	श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक	16.08.2023	31 जुलाई, 2023 को नूहं में हुई हिंसक घटना बारे ।	**Lapse on Prorogation.**
22	Sh. Jagbir Singh Malik, MLA	16.08.2023	Regarding Deteriorating condition of Education in Haryana.	In this connection, it is submitted that Calling Attention Notice No. 22 given by Sh. Jagbir Singh Malik, MLA disallowed on the following grounds: 1. That the matter is not of recent occurrence. 2. That the matter Lacks urgency.
23	Sh. Jagbir Singh Malik, MLA	16.08.2023	Regarding Problem being faced by General Public for Correction of Family ID.	**Admitted for 29.08.2023**.

24	1. श्री वरूण चौधरी, विधायक 2.श्री जयवीर सिंह, विधायक 3. श्री बलबीर सिंह, विधायक 4.श्री शीशपाल सिंह, विधायक	16.08.2023	प्रदेश में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति पर बढ़ते अपराध बारे ।	**Lapse on Prorogation.**
25	1. श्री ईश्वर सिंह, विधायक 2. श्री शमशेर सिंह, विधायक 3. श्री शीशपाल सिंह, विधायक	16.08.2023	बाढ़ के कारण प्रदेश में उतपन्न हालातों के बारे ।	काम रोको प्रस्ताव संख्या 2 को सूचना संख्या 25 में परिवर्तित करके स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न करके स्वीकृत किया गया ।

	4. श्री जगदीश नायर, विधायक 5. श्री लक्ष्मण नापा, विधायक			
26	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	18.08.2023	हरियाणा में बाजरे की फसल में सुंडी के आक्रमण से हुए नुकसान बारे ।	सूचना संख्या 26, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ संलग्न करके स्वीकृत किया गया ।

27	1. Sh. Indu Raj, MLA 2. Sh. Shishpal Singh, MLA 3. Sh. Jagbir Singh Malik, MLA 4. Sh. Jaiveer Singh, MLA 5. Sh. Pardeep Chaudhary, MLA 6. Smt. Renu Bala, MLA 7. Smt. Geeta Bhukkal, MLA.	17.08.2023	Regarding damage due to recent floods in the State.	Adjournment Motion No.4 converted into Calling Attention Notice No. 27 and clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 20.
28	श्री नीरज शर्मा, विधायक	19.08.2023	हरियाणा के नूहं जिले में हुई हिंसा बारे।	**Lapse on Prorogation.**
29	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	20.08.2023	खिलाडियों के साथ अपराधिक घटनाओं के कारण उनमें निराशा	इस विषय में यह प्रस्तुत है कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 5 जो कि पहले ही माननीय अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत की जा चुकी थी तथा माननीय विधायक ने दुबारा से

			बारे		ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29 के रूप में दे दी है	अतः ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है	
30	Sh. Jagbir Singh Malik, MLA	21.08.2023	Regarding Rampant Corruption in the State.	In this connection, it is submitted that Calling Attention Notice No. 30 given by Sh. Jagbir Singh Malik, MLA disallowed on the following grounds: 1. That the matter is not of recent occurrence. 2. That the matter Lacks urgency.
31	Sh. Jagbir Singh Malik, MLA	21.08.2023	Regarding problem of property ID.	In this connection, it is submitted that Calling Attention Notice No. 31 given by Sh. Jagbir Singh Malik, MLA disallowed on the following grounds: 1. That the matter is not of recent occurrence. 2. That the matter Lacks urgency.

32	श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	22.08.2023	पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक व प्रदेश के अन्य जिलों में आयुष्मान योजना के नाम पर हुए घोटाले के सन्दर्भ में ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 32 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।
33	श्री नीरज शर्मा, विधायक	22.08.2023	सड़क को तोड़ने की जानकारी देने बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 33 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।
34	श्री नीरज शर्मा, विधायक	22.08.2023	जिला स्तरीय अदालतों और हाई कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे केसों की जानकारी बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है ।

				2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।
35	श्री नीरज शर्मा, विधायक	22.08.2023	नगर दर्शन पोर्टल की जानकारी बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 35 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।
36	श्री नीरज शर्मा, विधायक	22.08.2023	सीआईए की कार्य प्रणाली से अवगत करवाने बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 36 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है । 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।

37	श्री नीरज शर्मा, विधायक	22.08.2023	अधिग्रहण की गई जमीन की जानकारी देने बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 37 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है । 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।
38	Smt. Kiran Choudhry, MLA	23.08.2023	Regarding Compensation and financial assistance to Farmers/Labours who suffered damage due to recent floods.	Admitted and clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 20.
39	श्री नीरज शर्मा, विधायक	23.08.2023	हरियाणा में बाढ़ के कारण हुए नुकसान बारे ।	सूचना संख्या 39 स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न करके स्वीकृत किया गया ।
40	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	23.08.2023	ओल्ड पेंशन योजना बहाल करने बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 40 को माननीय अध्यक्ष महोदय

				द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।
41.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	23.08.2023	नूहं क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ी हालात के बारे ।	**Lapse on Prorogation.**
42.	श्री भव्य बिश्नोई, विधायक	24.08.2023	हरियाणा के 13 जिलों में बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान बारे ।	सूचना संख्या 42, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न करके स्वीकृत किया गया ।
43	1. श्री राव दान सिंह, विधायक 2. श्री आफ़ताब अहमद, विधायक	16.08.2023	दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बाजरे की फसल को बहुत भारी नुकसान बारे ।	अल्प अवधि चर्चा संख्या 2 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में परिवर्तित करके दिनांक 28.08.2023 के लिए स्वीकृत कर दिया गया।

	3. श्रीमती गीता भुक्कल विधायक विधायक			
44	श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक	24.08.2023	यमुना क्षेत्र के किसानों की फसलों तथा जान माल का भारी नुकसान बारे ।	सूचना संख्या 44, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न करके स्वीकृत किया गया ।
45	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	25.08.2023	बाजरे की फसल पर कुतरा नाम की सुंडी की वजह से जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार आदि में शत-प्रतिशत फसल ख़त्म होने बारे ।	सूचना संख्या 45, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ संलग्न करके स्वीकृत किया गया ।

46	1. श्री मेवा सिंह, विधायक 2. श्री बिशन लाल, विधायक 3. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक 4.श्री सुभाष गांगोली, विधायक	25.08.2023	जीरी की फसल की सरकारी खरीद 15 सितम्बर से शुरू करने बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 46 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है । 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है ।
47	Sh. Chiranjeev Rao, MLA	25.08.2023	Regarding recent violence in Nuh District.	**Lapse on Prorogation**.
48	श्री नीरज शर्मा, विधायक	25.08.2023	मेरी फसल मेरा बीमा पोर्टल के संबंध में ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 48 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:-

				1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है | 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है |
49	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	26.08.2023	भवन एवं सहनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए हजारों करोडों के कथित घपले बारे ।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 49 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:- 1. यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है| 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है |

नियम 73 क के तहत प्रस्ताव अल्पकालिक चर्चा

क्रमांक	सदस्य/सदस्यों का नाम	दिनांक	विषय	टिप्पणी
1.	1. श्री वरूण चौधरी, विधायक 2. श्री बिशन लाल, विधायक 3. श्री मेवा सिंह, विधायक	07.08.2023	हाल की भारी बारिश के कारण अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल आदि जिलों में जलभराव होने से जान माल का बहुत नुकसान होने बारे।	अल्प अवधि चर्चा संख्या 1 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 में परिवर्तित करके दिनांक 25.08.2023 के लिए स्वीकृत कर दिया गया।
2.	1. श्री राव दान सिंह, विधायक 2. श्री आफ़ताब अहमद, विधायक 3. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	16.08.2023	दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बाजरे की फसल को बहुत नुकसान बारे।	अल्प अवधि चर्चा संख्या 2 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में परिवर्तित करके दिनांक 28.08.2023 के लिए स्वीकृत कर दिया गया।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव				
क्र. सं.	नोटिस देने वाले सदस्य	तिथि (जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं चर्चा की गई)	विषय–वस्तु	निर्णय/टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक श्री वरुण चौधरी, विधायक।	–––––	हरियाणा परिवार पहचान पत्र की धारा 3 के तहत जो अधिसूचना जारी की है जो संविधान के मूल सिद्धांतो का उल्लंघन है उस पर तुरंत विचार किया जाए	अस्वीकृत

Notice of disapproval of Ordinance under sub clause (a) of Clause (2) of the Article 213 of the Constitution of India read with Rule 168 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly				
Sr. No.	**Member(s) (who gave the Notice)**	**Moved and discussed on**	**Subject matter**	**Decision/Remarks**
1	2	3	4	5
1.	Shri Bharat Bhushan Batra, M.L.A. and Shri Varun Choudhary, M.L.A.	28.08.2023	'That this House disapproves the Haryana Municipal Corporation (Amendment), Ordinance 2023 (Haryana Ordinance No. 2 of 2023) as promulgated by the Governor of Haryana on 12^{th} May, 2023.'	Motion was Put and Lost

----

मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य

क्रमांक संख्या	दिनांक	दिया गया वक्तव्य	विषय सूची
1.	25.08.2023	उप मुख्यमंत्री	"हाल ही में भारी बारिश के कारण जिला अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पनीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल इत्यादि में एकत्रित हुए पानी के कारण जान माल के भारी नुकसान से संबंधित"
2.	28.08.2023	उप मुख्यमंत्री	"दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से फसल को हुए नुकसान बारे"
3.	29.08.2023	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग से संबंधित"
4.	29.08.2023	मुख्यमंत्री	"परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार के लिए आम जनता के समक्ष आने वाली समस्या बारे"

दिए गए भाषणों और उस पर लगने वाले समय का तुलनात्मक विवरण

मंत्रियों/सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों की संख्या					मंत्रियों/सदस्यों द्वारा लिया गया समय (मिनट्स/परसेंटेज में)				
सत्ता पक्ष के सदस्य (मंत्रियों को छोड़कर)	मुख्यमंत्री /मंत्री	निर्दलीय	विपक्ष के सदस्य		सतापक्ष के सदस्य (मंत्रियों को छोड़कर))	मुख्यमंत्री /मंत्री	निर्दलीय	विपक्ष के सदस्य	
			भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	इंडियन नेशनल लोकदल				भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	इंडियन नेशनल लोकदल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
6 (20.69%)	**8 (27.58%))**	**-**	**15 (51.73%)**	**--**	**17 (11.71%)**	**40 (27.59%)**	**--**	**88 (60.70%)**	**----**

टिप्पणियाँः–

(i) सभापीठ द्वारा अवलोकन/निर्णय आदि और उस पर लगने वाला समय विवरण में शामिल नहीं है।

(ii) **प्रश्नकाल को** विवरण में शामिल नहीं किया **गया** है।

(iii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण, व्यवस्था का बिंदु, शून्य काल, विधान के संबंध में प्रस्ताव और मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों आदि पर लगने वाला समय भी विवरण में शामिल नहीं किया **गया** है।

प्रश्नों से संबंधित आंकडे

1	सभा की कुल बैठकों की संख्या ।	3
2	प्राप्त हुए कुल प्रश्नों की संख्या (तारांकित/अतारांकित)।	421+270 = 691
3	प्राप्त हुए अल्प सूचना प्रश्नों की संख्या।	शून्य
4	बैठकों की कुल संख्या जिसमें प्रश्नकाल हटा दिया गया /आयोजित नहीं हुआ।	शून्य
5	सदस्यों की कुल संख्या जिनसे सूचना प्राप्त हुई ।	64
6	प्रश्नों की कुल संख्या जिनके मौखिक उत्तर दिए गए ।	31
7	किसी एक दिन मौखिक रूप से सबसे अधिक संख्या में प्रश्नों के दिए गए उत्तर ।	11
8	किसी एक दिन मौखिक रूप से सबसे कम प्रश्नों के दिए गए उत्तर ।	9
9	अतारांकित प्रश्नों में परिवर्तित तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या।	शून्य
10	उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या ।	120
11	किसी एक मंत्री/मुख्यमंत्री द्वारा मौखिक रूप से सबसे अधिक संख्या में प्रश्नों के दिए गए उत्तर ।	9
12	सबसे अधिक संख्या में किसी एक मंत्री/मुख्यमंत्री को मौखिक रूप से संबोधित किए गए प्रश्न।	15
13	संबंधित सदस्य को दिए गए सवालों के जवाब में दिए गए विवरणों की कुल संख्या।	15

प्रश्नों का विवरण

	प्राप्त नोटिस की संख्या	स्वीकृत किये गए	वापस भेजे गए	परिवर्तित किये गए	अस्वीकृत किये गए	सयोंजित किये गए	समाप्त हुए	पूछे नहीं गए	स्थगित / समय बढाया गया	उत्तर दिए गए	सवालों की संख्या जिनका उत्तर दिया गया समझा गया	अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
तारांकित	421	251	शून्य	शून्य	170	शून्य	191	1	शून्य	31	**2**8	**42**
अतारांकित	271	161	शून्य	शून्य	109	शून्य	41	शून्य	**2**	120	शून्य	शून्य
अल्प सूचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

तिथिवार दिये गये उत्तर/नहीं रखे गये/स्थगित कर दिये गये तारांकित प्रश्नों का विवरण

दिनांक	सरकारी पक्ष	विपक्ष	आजाद	नहीं पूछे गए प्रश्न	प्रश्न स्थगित / समय बढाया गया
25.08.2023	8	2	1	शून्य	शून्य
28.08.2023	9	2	शून्य	1	शून्य
29.08.2023	4	3	2	शून्य	शून्य

नियम 45(1) के तहत सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के उत्तर की तिथिवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

दिनांक	सरकारी पक्ष	विपक्ष	आजाद	प्रश्नों की कुल संख्या जिनके उत्तर दिए हुए समझे गए	प्रश्नों की कुल संख्या जिनके उत्तर मौखिक रूप से दिए गए	नहीं पूछे गए प्रश्न	समय बढाया गया	सूचीबद्ध प्रश्नों कि कुल संख्या
25.08.2023	4	4	1	9	11	शून्य	शून्य	20
28.08.2023	शून्य	8	शून्य	8	11	1	शून्य	20
29.08.2023	4	7	शून्य	11	9	शून्य	शून्य	20

विभिन्न मंत्रियों के नामों में तारांकित प्रश्नों की संख्या दर्शाने वाला तिथिवार विवरण।

दिनांक	मुख्य मंत्री	उप मुख्यमंत्री	चिकित्सा शिक्षा / स्वास्थ्य / गृह	उच्च शिक्षा	बिजली / जेल	कृषि तथा किसान कल्याण	शहरी स्थानीय निकाय	पर्यावरण	विकास एवं पंचायत	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
25.08.2023	3	9	1	1	3	1	शून्य	1	1	शून्य
28.08.2023	2	4	5	2	शून्य	2	2	2	1	शून्य
29.08.2023	5	2	3	शून्य	2	शून्य	5	शून्य	2	1

....

बहिर्गमन

क्रमांक संख्या	दिनांक	विधायक / विधायकों द्वारा वॉक आउट	कारण
1.	25.08.2023	इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला	इडियन नैशनल लोक दल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री से उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब जानना चाह रहे थे तो अध्यक्ष महोदय ने उनसे उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जवाब दिए जाने के दौरान बीच में न बोलने के लिए कहा तो इसके विरोध स्वरूप वे सदन से वाक आउट कर गए ।
2.	29.08.2023	इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 पर चर्चा के बाद इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार के लिए आम जनता के समक्ष आने वाली समस्याओं बारे मुख्यमंत्री द्वारा पी.पी.पी. में खामियों को दूर करने के लिए इस विषय को सिलैक्ट कमेटी में भेजने के उनके सुझाव को न मानने के कारण इसके विरोध में सदन से वॉक आउट कर गए।

परिशिष्ट

बुलेटिनस (अगस्त) सत्र, 2023

(14वीं विधान सभा के 13वें सत्र (अगस्त) 2023 की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण)

बुलेटिन संख्या–1

शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023

(प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.38 बजे तक)

1. **शोक प्रस्ताव**

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीयः–

1. चौधरी रणधीर सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल, सिक्किम;
2. सरदार प्रकाश सिंह बादल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब;
3. श्री रतन लाल कटारिया, संसद संदस्य;
4. श्री जय नारायण खुन्डिया, हरियाणा के भूतपूर्व उप मंत्री;
5. महाशय परमानन्द, स्वतन्त्रता सेनानी;
6. हरियाणा के शहीद;
7. रेल दुर्घटना;
8. जम्मू–कश्मीर में आतंकी हमले;
9. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख किया तथा 13 मिनट भाषण दिया।

प्रतिपक्ष के नेता, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, ने 12 मिनट भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा 1 मिनट भाषण दिया और सुझाव दिया कि हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री मोहन लाल बड़ोली के मामा श्री मांगे राम जिनका निधन 29 मई 2023 को हुआ है, का नाम भी उक्त सूची में सम्मिलित किया जाए तथा इस पर सहमति हुई।

यह निश्चित किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजे जाएं।

दिवंगतों की पुण्य–स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण किया।

2. **चन्द्रयान 3 की चन्द्रमा पर सफल लैडिंग के लिए बधाई देना**

मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 23.08.2023 को इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चन्द्रयान 3 की चन्द्रमा के दक्षिणी छोर पर विश्व के पहले देश के रूप में भारत द्वारा सफल लैडिंग के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों, उनकी टीम और समस्त देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि इस मिशन में हरियाणा के अलग अलग शहरों के उत्पादों और विभिन्न व्यक्तियों का भी सराहनीय योगदान रहा है ।

उन्होनें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इस कार्य के लिए उनके कुशल नेतृत्व में भी बधाई दी।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चन्द्रयान 3 के चन्द्रमा के दक्षिणी छोर पर सफल लैंडिंग के लिए उनको बधाई दी तथा उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के बाद से अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का इसरो के अलग अलग मिशनों के कियाकलापों में सराहनीय योगदान रहा है इसलिए उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिए जाएं । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उनकी कही हुई बात को इंक्लूड कर लेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से चन्द्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र सिंह मोदी का नाम लेने का आग्रह किया ।

अध्यक्ष महोदय ने भी चन्द्रयान 3 की चन्द्रमा के दक्षिणी छोर पर विश्व के पहले देश के रूप में भारत द्वारा सफल लैडिंग के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों, उनकी टीम और समस्त देशवासियों को बधाई दी।

(इसके बाद सदन ने चन्द्रयान 3 की चन्द्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए खड़े होकर तालियां बजाकर इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान किया ।)

3. **प्रश्न**

(क) तारांकितः

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	11	—	—	12

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकितः 40

4. **हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा हरियाणा पत्रकार संघ, करनाल के सदस्यों का अभिनन्दन।**

प्रश्न काल के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से–

(क) हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रण सिंह मान, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ख) हरियाणा पत्रकार संघ, करनाल के सदस्य, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

5. **स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज को हाउस में बुलाने बारे सूचना देना**

प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन को जानकारी दी कि उन्होंने श्री अनिल विज को प्रश्न काल के दौरान अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा था न कि सदन से बाहर जाने के लिए लेकिन शायद कंफ्यूजन में उन्होंने यह समझ लिया कि उन्होंने उनको सदन से बाहर जाने के लिए कहा है इसलिए वे सदन से बाहर चले गए हैं । अध्यक्ष महोदय ने उनसे सदन में आने के लिए निवेदन किया ।

6. **नियम 84 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा करने का मामला उठाना**

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा ने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 84 के तहत "हरियाणा परिवार पहचान पत्र की धारा 3 के तहत जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वह संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है", के बारे में उनके और उनकी पार्टी के 2 अन्य सदस्यों श्रीमती गीता भुक्कल और श्री वरूण चौधरी द्वारा दिए गए मोशन पर चर्चा करवाने का मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा कि उन्होंने उनके द्वारा दिए गए इस मोशन को किस प्रोवीजन के तहत रिजैक्ट किया है । अध्यक्ष महोदय ने उनको जानकारी देते हुए बताया कि उनका मोशन डिसअलाउ कर दिया गया है लेकिन श्री भारत भूषण बतरा अध्यक्ष महोदय के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि परिवार पहचान पत्र अथोरिटी तो बन गया है लेकिन इस अथोरिटी के नियमों को आज तक भी सदन में पेश नहीं किया गया है जबकि इस बारे में सदन में रूल्ज लेडाउन होने चाहिएं थे ।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया वे उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा नियम 84 के तहत दिए गए मोशन पर चर्चा करवाएं ताकि चर्चा के वक्त परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित सारी विसंगतियां सदन में आ जाएं और सरकार उनका जवाब दे दे । श्री भारत भूषण बतरा और श्रीमती किरण चौधरी ने अध्यक्ष महोदय से पुनः आग्रह करते हुए कहा

कि परिवार पहचान पत्र में काफी कमियां हैं इसलिए इस विषय पर सदन में नियम 84 के तहत चर्चा होनी ही चाहिए ।

इस विषय पर काफी देर तक हुई चर्चा के पश्चात् मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को विश्वास दिलाया कि सैशन के आने वाले दो दिनों के अंदर अंदर हम हरियाणा परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके सारे रूल्ज सदन में ले डाउन कर देंगे ।

7. कैग की रिपोर्ट से सम्बन्धित फॉईनैंशियल मिसमैनेजमेंट का मामला उठाना।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य डा. रघुवीर सिंह कादियान ने कैग की रिपोर्ट का मामला उठाया और कहा कि पिछले बजट सैशन में उन्होने फॉईनैशियल मिसमैनेजमेंट से संबंधित कैग की रिपोर्ट के जो आब्जैक्शंज सदन में उठाए थे उनके बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में 15 दिन के अन्दर–अन्दर इनका जवाब देने का आश्वासन दिया था लेकिन मेरे पास अभी तक भी इनका जवाब नहीं आया है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि सदन में इस तरह से सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए जाते हैं वे तो पूरे होने ही चाहिएं ।

मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में बताया कि वे इस बारे में माननीय सदस्य को बता देंगे।

8. अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणाएं–

(i) चेयरपर्सज़ के नामों की सूची के संबंध में।

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13 (1) के अधीन, अध्यक्ष महोदय ने अगस्त सत्र, 2023 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के नामों की सूची (पैनल आफ चेयरपर्सनज़) में कार्य निर्वहन करने के लिए नामज़द किया :–

1. श्री मोहन लाल बड़ोली, विधायक
2. श्रीमती निर्मल रानी, विधायक
3. श्री वरूण चौधरी, विधायक
4. श्री ईश्वर सिंह, विधायक

(ii) सदस्य की अनुपस्थिति की अनुमति के संबंध में।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री प्रदीप चौधरी, विधायक से ई–मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, कि उनके पैर में चोट लगने के कारण वे आज दिनांक 25.08.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

9. नेवा परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन बारे सूचना देना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय

द्वारा इसी वर्ष दिनांक 24 और 25 मई को नेवा परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन अशोका होटल, नई दिल्ली में किया गया था। इसमें देश की सभी विधान सभाओं और परिषदों ने भाग लिया था। उन्होनें सदन को यह भी बताया कि इस कार्यशाला के दौरान माननीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा नेवा परियोजना को बहुत ही कम समय में लागू करने की उत्कृष्ट पहल के लिए हरियाणा विधान सभा को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।

उन्होंने नेवा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गठित विधान सभा सचिवालय की हाई लैवल अपैक्स समिति व स्टेट प्रोजैक्ट मोनिटरिंग यूनिट के सभी माननीय सदस्यों जिसमें इस सदन के माननीय सदस्य, राज्य सरकार व विधान सभा सचिवालय के अधिकारीगण एवं संसदीय कार्य मंत्रालय, हॉरट्रोन, एन.आई.सी., निक्सी व इस परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों /कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य एवं उपरोक्त कार्य के लिए आपसी समन्वय बनाये रखने के लिए बधाई भी दी।

10. सचिव द्वारा घोषणा

सचिव महोदय ने निम्नलिखित विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर, सत्र 2022 तथा फरवरी मार्च 2023 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज पर रखने की घोषणा की।

दिसम्बर–सत्र, 2022

हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक,2022

फरवरी–मार्च सत्र, 2023

1. पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023.
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023.
3. हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023.
4. हरियाणा विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2023.

11. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

अध्यक्ष महोदय ने कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की :–

समिति की बैठक वीरवार, 24 फरवरी, 2023 को मध्याह्न–पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक शुक्रवार 25 अगस्त, 2023 को 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

सोमवार, 28 अगस्त, 2023 को विधान सभा की बैठक 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 6.00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

मंगलवार, 29 अगस्त, 2023 को विधान सभा की बैठक 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 25, 28 तथा 29 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः—

शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 (11.00 बजे प्रातः)	1. शोक प्रस्ताव। 2. प्रश्न काल। 3. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 4. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज—पत्र। 5. विधायी कार्य।
शनिवार, 26 अगस्त, 2023	छुट्टी
रविवार, 27 अगस्त, 2023	छुट्टी
सोमवार, 28 अगस्त, 2023 (11.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2011—12 से 2018—19 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। 3. वर्ष 2023—24 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट। 4. वर्ष 2023—24 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर चर्चा तथा मतदान। 5. विधायी कार्य।
मंगलवार, 29 अगस्त, 2023 (11.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। 4. रखे जाने वाले कागज—पत्र, यदि कोई हों।

5. वर्ष 2011–12 से 2018–19 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक, 2023.
6. वर्ष 2023–24 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक।
7. विधायी कार्य।
8. कोई अन्य कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया–

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए ।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

12. शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज सर्वश्री शमशेर सिंह गोगी, प्रमोद कुमार विज, रणधीर सिंह गोलन, जगबीर सिंह मलिक, सुभाष गांगोली, मेवा सिंह, अभय सिंह चौटाला, चिरंजीव राव, नीरज शर्मा, कृष्ण लाल मिड्डा, असीम गोयल, सोमबीर सांगवान, शीशपाल सिंह, अभय सिंह यादव, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायकों को शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी सूचित किया कि तीन नाम (श्री इन्दुराज, श्री कुलदीप वत्स व श्रीमती किरण चौधरी) कल सायं 5 बजे के बाद शून्यकाल में बोलने के लिए प्राप्त हुए हैं इसलिए इनको भी आज शून्यकाल में बोलने का मौका दिया जाएगा ।

13. बैठक का स्थगन।

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सदन 02:00 बजे तक के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात सदन मध्याहन–पश्चात् 1:04 बजे 2:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याहन–पश्चात् 2:00 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।)

14. शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, सर्वश्री शमशेर सिंह गोगी, प्रमोद कुमार विज, रणधीर सिंह गोलन, जगबीर सिंह मलिक, सुभाष गांगोली, मेवा सिंह, अभय सिंह चौटाला, चिरंजीव राव, नीरज शर्मा, कृष्ण लाल मिड्डा, असीम गोयल, सोमबीर सांगवान, शीशपाल सिंह, अभय सिंह यादव, श्रीमती गीता भुक्कल, इन्दुराज, व श्रीमती किरण चौधरी, विधायकों ने उन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाया।

15. हरियाणा पत्रकार संघ, करनाल के सदस्यों तथा गुरू गोबिन्द सिंह पब्लिक स्कूल, पानीपत के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन।

शून्य काल के दौरान उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से–

(क) हरियाणा पत्रकार संघ, करनाल के सदस्यों, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ख) गुरू गोबिन्द सिंह पब्लिक स्कूल, पानीपत के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

16. स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना।

जब इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा ने उनके और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की सूचना का परिणाम जानना चाहा तो उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि अभी यह स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास कमैंटस के लिए भेजा गया है तथा जैसे ही सरकार की तरफ से कमैंटस प्राप्त हो जाएंगे तत्पश्चात इस बारे में विचार करेंगे।

17. अल्पावधि सूचना संख्या 1 को ध्यानाकर्षण संख्या 20 में कन्वर्ट करने के सम्बन्ध में मामला उठाना

जैसे ही उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री वरूण चौधरी, विधायक तथा 2 अन्य विधायकों सर्वश्री बिशनलाल सैनी तथा मेवा सिंह से हाल ही में भारी बारिश के कारण जिला अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल इत्यादि में एकत्रित हुए पानी के कारण जान माल के भारी नुकसान से संबंधित अल्पावधि सूचना संख्या 1 प्राप्त हुई है, जिसे उन्होने ध्यानाकर्षण सूचना

संख्या 20 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत कर लिया है उसी समय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने जानना चाहा कि किस नियम के तहत अल्पावधि सूचना को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 में परिवर्तित किया गया है क्योंकि नियमों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि सम्बन्धित मंत्री व सम्बन्धित विधायकों की परमीशन के बिना अल्पावधि सूचना को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदल दिया जाए । उपाध्यक्ष महोदय ने उप मुख्यमंत्री महोदय को बताया कि पूर्व में भी ऐसी प्रथाएं रही हैं कि इस तरह अल्पावधि सूचना को ध्यानाकर्षण सूचना में बदला गया है । उप मुख्यमंत्री महोदय ने उपाध्यक्ष महोदय से कहा कि अगर पहले भी इस तरह की गलतियां हुई हैं तो यह जरूरी नहीं कि उन गलतियों को दोहराया जाए इसलिए उन्होंने उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि इस समय जो अल्पावधि सूचना को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 में परिवर्तित किया गया है उसको टेकअप न करके जो दूसरे नम्बर पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 है उसको टेकअप करते हुए उसके सिग्नेटरी श्री जगबीर सिंह मलिक से घ्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़वा कर उस पर चर्चा शुरू करवा ली जाए। उपाध्यक्ष महोदय ने पुनः कहा कि चूंकि अब अल्पावधि सूचना को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित करके स्वीकृत कर लिया गया है इसलिए आज इस पर चर्चा करवा लेते है लेकिन भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा ।

उप मुख्यमंत्री महोदय ने उपाध्यक्ष महोदय से यह भी कहा कि नियमों के अनुसार एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में केवल 5 सदस्य ही सवाल पूछ सकते हैं लेकिन जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज आपने स्वीकृत किया है उसमें कई और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को जोड़ा गया है जिसकी वजह से सवाल पूछने वाले सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है जोकि ठीक नहीं है । उन्होंने उपाध्यक्ष महोदय से यह भी आग्रह किया कि इस तरह से नई प्रथाएं बनाना ठीक नहीं है, इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि आज ही आपने इस तरह का सवाल उठाया है इसलिए भविष्य में इस बारे में भी ध्यान रखा जाएगा ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल ने भी उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि रूल्ज समिति की मीटिंग बुलाकर इस तरह के रूल्ज से रिलेटिड बातें उसमें रखी जानी चाहिएं ।

18. स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में सूचना।

जब इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल तथा श्रीमती किरण चौधरी ने उनके और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाओं का परिणाम जानना चाहा तो उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 स्वीकृत किया गया है उस पर चर्चा के पश्चात उन्हें इस बारे में बता दिया जाएगा ।

19. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

"हाल ही में भारी बारिश के कारण जिला अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल इत्यादि में एकत्रित हुए पानी के कारण जान माल के भारी नुकसान से संबंधित"

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री वरूण चौधरी, विधायक तथा 2 अन्य विधायकों सर्वश्री बिशनलाल सैनी तथा मेवा सिंह से हाल ही में भारी बारिश के कारण जिला अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल इत्यादि में एकत्रित हुए पानी के कारण जान माल के भारी नुकसान से संबंधित अल्पावधि सूचना संख्या 1 प्राप्त हुई है, जिसे उन्होने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6, जो कि श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12, जो कि श्री बलराज कुण्डु, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री बलराज कुण्डु, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14, जो कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17, जो कि श्री मेवा सिंह तथा श्री बिशनलाल सैनी, विधायकों द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री मेवा सिंह तथा श्री बिशनलाल सैनी, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि स्थगन प्रस्ताव संख्या 2, जो कि श्री ईश्वर सिंह तथा 4 अन्य विधायकों (श्री जगदीश नायर, श्री लक्ष्मण नापा, श्री शीशपाल सिंह तथा श्री शमशेर सिंह गोगी) द्वारा दी गई है, जिसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 में परिवर्तित कर दिया गया है तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। माननीय सदस्यगण चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि स्थगन प्रस्ताव संख्या 4, जो कि श्री इन्दु राज तथा 6 अन्य विधायकों (श्री शीशपाल सिंह, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री जयबीर सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्रीमती रेनू बाला तथा श्रीमती गीता भुक्कल) द्वारा दी गई है, जिसे घ्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 में परिवर्तित कर दिया गया है तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। माननीय सदस्यगण चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38, जो कि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 39, जो कि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42, जो कि श्री भव्य बिश्नोई, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री भव्य बिश्नोई, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 44, जो कि श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होने आगे श्री वरूण चौधरी, विधायक को प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ने तथा इसके बाद संबंधित मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा।

श्री वरूण चौधरी ने अपनी सूचना पढ़ी।

तब उप मुख्यमंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

20. जन विकास शिक्षा समिति ट्रस्ट, चंडीगढ़ के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से जन विकास शिक्षा समिति ट्रस्ट, चंडीगढ़ के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

21. वाक आउट

जब इडियन नैशनल लोक दल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री से उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब जानना चाह रहे थे तो अध्यक्ष महोदय ने उनसे उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जवाब दिए जाने के दौरान बीच में न बोलने के लिए कहा तो इसके विरोध स्वरूप वे सदन से वाक आउट कर गए ।

22. विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढाना।

समिति के चेयरपर्सन (श्री नरेन्द्र गुप्ता) ने श्री जोगी राम, विधायक तथा श्री अनूप धानक, विधायक द्वारा श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के खिलाफ 21 फरवरी 2023 को दिए गए विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के नोटिस के प्रश्न के सम्बन्ध में जिसमें श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने हिसार हवाई अड्डे के उद्देश्य के लिए अधिकृत भूमि एवं आस पास की भूमि के सम्बन्ध में कुछ गलत और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए थे जोकि उन्होंने ज्ञानपूर्वक, अभिप्रायपूर्वक तथा जानबूझकर प्रस्तुत किए हैं । उन्होंने विशेष रूप से सदन की तथा विशेषतः सदस्यों की प्रतिष्ठा, गरिमा तथा शान को कम किया है । अतः स्पष्ट रूप से उक्त सदस्य का कृत्य सदन में विशेषाधिकार का उल्लंघन है । इसके अतिरिक्त सदन में जब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक वक्तव्य दे रहे थे, उस समय उनका व्यवहार/आचरण अन्य सदस्यों के प्रति भी अनुचित तथा

असंसदीय रहा है ।

चूंकि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है एवं अभी समिति के समक्ष विचाराधीन है इसलिए समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया–

> कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढाया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

23. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र।

संसदीय कार्य मंत्री ने नेवा पोर्टल के माध्यम से क्रम संख्या 1 से 35 तक कागज–पत्र सदन की मेज पर रखे ।

24. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

1.हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

5.35 बजे मध्याह्न–पश्चात् शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

2.हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

5.36 बजे मध्याह्न–पश्चात् शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के श्री भारत भूषण बतरा एवं श्री वरूण चौधरी विधायकों की ओर से हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023(2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2) को डिस्एप्रूवल का नोटिस मिला है । सदन की सहमति लेने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि इस पर चर्चा विधेयक पर चर्चा से पहले कर ली जाएगी ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

3.हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

5.37 बजे मध्याह्न–पश्चात् कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास

तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय ने भोजनावकाश के बाद मध्याह्न–पश्चात् 2.00 बजे से सायं 5.02 बजे तक सदन की अध्यक्षता की।

तब सभा सोमवार, 28 अगस्त, 2023 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

....

बुलेटिन संख्या–2
सोमवार, 28 अगस्त, 2023

(प्रातः 11:00 बजे से सायं 6.33 बजे तक)

1. शोक प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक चौधरी रण सिंह बेनीवाल जिनका निधन 26 अगस्त, 2023 को हो गया था, के देहावसान का उल्लेख किया तथा 1 मिनट भाषण दिया।

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री आफताब अहमद ने भी एक मिनट भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा 1 मिनट भाषण दिया ।

यह निश्चित किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजा जाए।

दिवंगत की पुण्य–स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण किया।

2. श्री नीरज चोपड़ा को विश्व एथलैटिक्स चैम्पियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मैडल जीतने पर बधाई देना

मुख्यमंत्री महोदय ने श्री नीरज चोपड़ा को विश्व एथलैटिक चैम्पियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मैडल जीतने वाले पहले युवा के रूप में उनको, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके कोच को और सभी खेल समर्थकों को बधाई देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है । उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों की हर सम्भव सहायता करती रहेगी ।

3. प्रश्न

(क) तारांकितः

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	11	1	13	

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकितः 40

4. डिवाईन पब्लिक स्कूल, शाहबाद के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का और हरियाणा के पूर्व मंत्रियों एवं राज्य सभा सदस्य तथा हरियाणा के पूर्व मंत्री का अभिनन्दन।

प्रश्न काल के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से–

(क) डिवाईन पब्लिक स्कूल, शाहबाद के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ख) श्री कृष्ण मूर्तिं हुड्डा और श्री सुभाष बतरा, हरियाणा के पूर्व मंत्री, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

(ग) श्री कृष्ण लाल पंवार, राज्य सभा सदस्य एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

5. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि–

(क) उन्हें श्री बिशम्भर सिंह, एम.एल.ए से ई–मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे दिनांक 28 अगस्त, 2023 को अस्वस्थ होने की वजह से बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ख) उन्हें श्री धर्म सिंह छोक्कर, एम.एल.ए से ई–मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे दिनांक 28 व 29 अगस्त, 2023 को पारिवारिक कारणों से सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

6. शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज सर्वश्री घनश्याम दास अरोड़ा, लक्ष्मण नापा, अमरजीत ढांडा, बलबीर सिंह, श्रीमती रेनू बाला, धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, संजय सिंह, बिशन लाल सैनी, लक्ष्मण सिंह यादव, कुलदीप वत्स, राम निवास, प्रदीप चौधरी, हरविन्द्र कल्याण, जयवीर सिंह, सुरेन्द्र पंवार, जोगी राम सिहाग, राम कुमार कश्यप, विनोद भ्याना और सत्यप्रकाश जरावता विधायकों को शून्यकाल में बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

7. मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह के त्याग पत्र का मामला उठाना

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा, श्रीमती गीता भुक्कल एवं उनकी पार्टी के कई अन्य सदस्यों ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह के त्याग पत्र का मामला उठाते हुए कहा कि चूंकि श्री संदीप सिंह के खिलाफ एक जूनियर महिला कोच के साथ मोलेस्टेशन के चार्जिज हैं और उनके खिलाफ अब चंडीगढ़ पुलिस द्वारा चार्ज शीट भी दाखिल हो गई है इसलिए नैतिकता के आधार पर या तो उनको स्वयं इस्तीफा देना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री महोदय को उनसे इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपनी मांगों पर अड़े रहे तथा लगातार श्री संदीप सिंह के त्याग पत्र की मांग करते रहे और यहां तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य इस विषय को लेकर सदन की वैल में भी आ गए और नारेबाजी करने लगे । अध्यक्ष महोदय ने उनको बार बार कहा कि वे सदन की वैल से बाहर जाकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं लेकिन ये सभी सदस्य सदन की वैल से तो अपनी अपनी सीटों पर चले गए लेकिन अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित करते रहे । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे किसी को इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की बातों को अनसुना कर दिया और वे लगातार नारेबाजी करते रहे । अध्यक्ष महोदय ने उनको कहा कि या तो वे सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं नहीं तो उनको उन्हें नेम करना पड़ेगा । विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि अगर सरदार संदीप सिंह के खिलाफ मैटर सब ज्युडिस है तो भी सरदार संदीप सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री महोदय को उनको इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेता किसी को भी किसी एक्शन के लिए बाध्य नहीं कर सकते । उनका यह भी कहना था कि विपक्ष के लोग नैतिकता के आधार पर कहां खड़े हैं और सत्ता पक्ष के लोग कहां खड़े हैं अगर इस बारे में बताना शुरू कर दिया गया तो विपक्ष के लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी । उनका यह भी कहना था कि एक साल बाद जब वे और विपक्ष के लोग जनता के बीच जाएंगे तो जनता खुद इनकी धज्जियां उड़ा देगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री द्वारा जो धज्जियां उड़ाने की बात कही गई है उसको सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाए । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि

अनपार्लियामैंट्री शब्दों की एक लिस्ट है और यदि उस लिस्ट में धज्जियां शब्द होगा तो उसे कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा।

8. **स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाना**

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य डा. रघुवीर सिंह कादियान ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि उन्होंने लॉ एण्ड आर्डर पर काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ है जिस पर चर्चा करवाई जाए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । नूंह एवं ग्रुरूग्राम में हिंसा हुई है और कांस्टीच्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नूंह हिंसा का मामला कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए उस पर यहां सदन में चर्चा नहीं हो सकती । अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को भी पढ़कर सुनाते हुए सदन को बताया कि डैमोलिशन आफ बिल्डिंग्ज के साथ साथ नूंह एवं गुरूग्राम हिंसा का मामला कोर्ट में है । विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केवल डैमोलिशन आफ बिल्डिंग्स का मामला ही कोर्ट में सब ज्युडिस है तथा मुख्यमंत्री का ब्यान भी आया था कि नूंह हिंसा में कोई साजिश हुई है इसलिए उन्होंने जानना चाहा कि यह साजिश किसके द्वारा हुई है ? उन्होंने मांग की कि इस बारे में एक ज्युडिशियल इन्कवायरी करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए । श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि यदि इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं करवाई जा सकती तो भी सरकार को सदन को आश्वस्त करना चाहिए कि इस मामले की ज्युडिशियल इन्कवायरी करवाई जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य काफी देर तक प्रदेश की कानून व्यवस्था पर और विशेष रूप से नूंह एवं गुरूग्राम हिंसा पर उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवाने के लिए अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करते रहे ।

9. **बैठक का स्थगन**

सदन में काफी देर तक उपरोक्त विषय पर शोर गुल होता रहा और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के कई सदस्य लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे । जब काफी समय तक इस विषय पर शोरगुल होता रहा तो उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया ।

तत्पश्चात सदन मध्याहन–पश्चात् 12:30 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याहन–पश्चात् 1:00 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।

10. **नूंह एवं गुरूग्राम में हाल ही में हुई हिंसा पर चर्चा करवाने का मामला पुनः उठाना**

जैसे ही हाउस समवेत हुआ और अध्यक्ष महोदय ने सदन में सूचित किया कि वैसे तो शून्यकाल का समय समाप्त हो गया है लेकिन यदि हाउस की सहमति हो तो शून्यकाल अब शुरू कर लिया जाए । उन्होंने श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक को शून्य काल में चर्चा शुरू करने के लिए कहा लेकिन उसी समय सत्ता पक्ष के सदस्य श्री सत्यप्रकाश जरावता तथा श्री असीम गोयल ने नूंह हिंसा के मामले को पुनः उठाते हुए कहा कि इस सदन में एक सदस्य द्वारा धमकी भरी शब्दावली का प्रयोग किया गया था जिसके कारण ही नूंह में हिंसा को बढ़ावा मिला है । इन सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि इस तरह की धमकी भरी शब्दावली को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने इन सदस्यों से आग्रह किया कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती इसलिए वे अपनी सीटों पर बैठ जाएं । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों ने सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा विपक्ष के सदस्यों पर इस तरह के आरोप लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और अध्यक्ष महोदय से इस बारे में रूलिंग मांगी कि सदन में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्यों चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि डैमोलिशन ऑफ बिलडिंग्स का मैटर ही सब ज्युडिश है न कि स्टेट के लॉ एण्ड आर्डर का मामला सब ज्युडिस है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि अगर कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं करवाई जा सकती तो इस विषय में हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में ज्युडिशियल इन्कवायरी करवाने के लिए सरकार आश्वस्त कर दे । इस विषय पर काफी देर तक सदन में चर्चा चलती रही और अध्यक्ष महोदय के बार बार कहने के बावजूद भी विपक्ष के सदस्य लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे।

स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने इस विषय पर बोलते हूए कहा कि नूंह में जो भी हिंसा की घटनाऐं हुई हैं वे बहुत ही गलत हैं और इस मामले में कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य को पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है लेकिन यह सब कांग्रेस पार्टी का ही किया धरा है। इस पर कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी

11. बैठक का स्थगन।

जब उपरोक्त विषय पर सदन में काफी शोर गुल होता रहा तो उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए अब सदन 1 घण्टे के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात सदन मध्याहन–पश्चात् 1:21 बजे 1 घण्टे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याहन–पश्चात् 2:21 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।

12. अल्पावधि सूचना संख्या 2 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में जोड़ने के सम्बन्ध में मामला उठाना और ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 को आधे घण्टे के लिए डैफर करना।

भोजनावकाश के बाद जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें राव दान सिंह, विधायक तथा 2 अन्य विधायकों श्री आफताब अहमद तथा श्रीमती गीता भुक्कल से दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से फसल को हुए नुकसान से संबंधित अल्पावधि सूचना संख्या 2 प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत कर लिया है। उसी समय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने प्वांयट आफ आर्डर पर अपनी बात उठाते हुए कहा कि 25 अगस्त, 2023 को जब उपाध्यक्ष महोदय चेयर पर थे तो भी अल्पावधि सूचना संख्या 1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 में कंवर्ट कर दिया गया था और मैंने उस समय भी बताया था कि हाउस की सैंस के बिना और बी ए सी में एप्रूव हुए बिना अल्पावधि सूचना को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट नहीं किया जा सकता । अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा नियमों से और प्रथाओं से चलती है। पिछली कई प्रथाएं भी ऐसी रहीं हैं जब अल्पावधि सूचना को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदला गया है इसलिए इन्हीं प्रथाओं के आधार पर ही इस अल्पावधि सूचना को भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदला गया है। उपमुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 25 अगस्त को जब उपाध्यक्ष महोदय चेयर पर थे तो उन्होंने सदन को आश्वस्त किया था कि अब आगे से अल्पावधि सूचना को ध्यानाकर्षण सूचना में नहीं बदला जाएगा लेकिन आज फिर से सदन में अल्पावधि सूचना को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदल दिया गया है। इस तरह से नई नई प्रथाऐं दोबारा से शुरू हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि इसका सर्कुलेशन भी पहले ही हो गया था इसलिए इस अल्पावधि सूचना को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदला गया है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री महोदय से कहा कि वह उनको इस बारे में जो पिछली प्रथाऐं रही हैं उनके बारे में डिटेल में बताएंगे कि कब कब अल्पावधि सूचना को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदला गया है इस पर उपमुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि तब तक इस मामले को आधे घण्टे के लिए डैफर कर दिया जाए । अध्यक्ष महोदय ने भी उप मुख्यमंत्री के सुझाव पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 को चर्चा के लिए आधे घंटे तक के लिए डैफर कर दिया।

13. लिस्टिड प्रश्नों का जवाब देरी से आने के बारे में मामला उठाना।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नीरज शर्मा ने लिस्टिड प्रश्नों के जवाब देरी

से मिलने के संबंध में मामला उठाया और अध्यक्ष महोदय से कहा कि जो प्रश्न लिस्टिड हो जाते हैं उनके जवाब कई बार दो दो महीनों तक नहीं मिलते है। अध्यक्ष महोदय ने उनको सूचित किया कि कई प्रश्नों के जवाब काफी लम्बे चौड़े होते हैं जिनकी डिटेल फील्ड से इकट्ठा करने में समय लग जाता है इसलिए कई बार इनका जवाब आने में देरी हो जाती है।

14. नूंह हिंसा के मामले में सत्ता पक्ष द्वारा कांग्रेस पार्टी का नाम लिए जाने का मामला उठाना।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह करते हुए कहा कि नूंह हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य पर हिंसा को बढ़ावा देने के एलीगेशन लगाए गए हैं वे ठीक नहीं है इसलिए उन्हें हाउस की कार्यवाही से निकलवाया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से कहा कि इस विषय में उनकी तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी एलीगेशंज लगाए गए हैं उन दोनों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

15. रानिया निर्वाचन क्षेत्र के ऐकडेमिक टॉपर्स विधार्थियों का अभिनन्दन करना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से रानिया निर्वाचन क्षेत्र के 10वीं और 12वीं के ऐकडेमिक टॉपर्स विधार्थी जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

16. शून्य काल में बोलने के बारे में मामला उठाना।

निर्दलीय सदस्य श्री राकेश दौलताबाद ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि चूंकि आज शून्य काल नहीं हो पाया है जिसकी वजह से जिन सदस्यों ने आज शून्य काल में बोलना था उनके नाम क्या कल होने वाले शून्य काल में शामिल कर लिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि जिन सदस्यों के नाम आज शून्य काल में बोलने के लिए शामिल किए गए थे यदि वे चाहें तो अपने नाम कल होने वाले शून्य काल के लिए भी ड्रा में डाल सकते हैं ताकि उनका नाम भी कल होने वाले शून्य काल में शामिल कर लिया जाए।

17. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे आर्डिनैंस को सदन के पटल पर रखना।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए आर्डिनैंस को सदन के पटल पर रखते हुए कहा कि यह योजना स्वैच्छिक है लेकिन 25 अगस्त को कुछ माननीय सदस्य सदन में कह रहे थे कि यह योजना कम्पलसरी है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से मांग की कि जिन सदस्यों ने यह कहा था कि

यह योजना कम्पलसरी है उनके शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाए क्योंकि ऐसा कहकर विपक्ष के सदस्यों ने सदन की मर्यादा को भंग किया है इसलिए इस बारे में जो भी कार्यवाही उनके खिलाफ बनती है वह की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया और अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि जिस किसी सदस्य ने भी इस बारे में गलत कहा है उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिएँ या फिर उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। अगर वे सदस्य इस बारे में कहे गए अपने शब्द वापस नहीं लेंगे तो अगली कार्यवाही भी की जाएगी। अध्यक्ष महोदय ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से कहा कि अगर उनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है या कुछ गलत कहा गया है तो इस बारे मे और बहुत सी रैमेडीज हैं जिनका वह प्रयोग कर सकते हैं।

18. वर्ष 2011—12, 2012—13, 2013—14, 2014—15, 2015—16, 2016—17 तथा 2017—18 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान।

मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2011—12, 2012—13, 2013—14, 2014—15, 2015—16, 2016—17, तथा 2017—18 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों को नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि पूर्व प्रथानुसार तथा सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गईं सभी डिमांडस (वर्ष 2011—12 के लिए 17 और 24, वर्ष 2012—13 के लिए 6, 21, 24 और 38, वर्ष 2013—14 के लिए 6 और 24, वर्ष 2014—15 के लिए 24, वर्ष 2015—16 के लिए 4 और 24, वर्ष 2016—17 के लिए 14 और 24 तथा वर्ष 2017—18 के लिए 6 और 24) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे उस मांग संख्या को इंगित करें जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा व श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने क्रमशः 1—1 मिनट भाषण दिया।

क) वर्ष 2011—12

डिमांडस नं. 17 और 24 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

ख) वर्ष 2012—13

डिमांडस नं. 6, 21, 24 और 38 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

ग) वर्ष 2013—14

डिमांडस नं. 6, और 24 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

घ) वर्ष 2014–15

डिमांड नं. 24 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

ख) वर्ष 2015–16

डिमांडस नं. 4 और 24 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

ख) वर्ष 2016–17

डिमांडस नं. 14 और 24 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

ख) वर्ष 2017–18

डिमांडस नं. 6, और 24 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

19. नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना।

मुख्यमंत्री महोदय ने नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–24 (प्रथम किस्त) के लिए अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किये।

20. नेवा पोर्टल के माध्यम से प्राक्कलन समिति की वर्ष 2023–24 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

प्राक्कलन समिति के एक सदस्य श्री सुभाष सुधा ने नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–24 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

21. वर्ष 2023–2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) की मांगो पर चर्चा तथा मतदान।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि पूर्व प्रथानुसार तथा सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गईं सभी मांगें (संख्या 1 से 7, 10 से 12, 14 से 17 तथा 19 और 20) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत कर सकते हैं । अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मुद्दों तक ही सीमित रहेगी जिनसे वे बनी हों और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने सदस्यों से पुनः निवेदन किया कि वे उस मांग का क्रमांक बता दें जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

(कोई भी सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ)

मांग संख्या 1 से 7 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

मांग संख्या 10 से 12 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

मांग संख्या 14 से 17 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

मांग संख्या 19 और 20 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

22. डिमांडस की हार्ड कॉपी सदस्यों को उपलब्ध करवाने के बारे में मामला उठाना।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा, श्री वरूण चौधरी और श्रीमती किरण चौधरी ने डिमांड्स की हार्ड कॉपी भी सदस्यों को उपलब्ध करवाने के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भविष्य में इस बारे में ध्यान रखेंगे।

23. सरकारी प्रस्ताव–

लोक ऋण अधिनियम, 1944 एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में संशोधन के निरसन के बारे में।

मध्याह्न पश्चात् 2:55 बजे मुख्यमंत्री महोदय ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:–

"चूंकि हरियाणा विधान सभा का मानना है कि राज्यों के लोक ऋणों और इससे संबंधित या आनुषंगिक और प्रासंगिक सभी मामलों का विनियमन करने हेतु सम्पूर्ण भारत में समान विधि होना वांछनीय है;

और चूंकि, 2006 में, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा इसके प्रबन्धन से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) अधिनियमित किया। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) कथित करती है कि यह अधिनियम ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों को लागू होता है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् सृजित और निर्गमित की गई हैं। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 की उप-धारा (1) उपबन्ध करती है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का उन सरकारी प्रतिभूतियों को जिनको यह अधिनियम लागू होता है, और सभी मामलों को भी, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किए गए हैं, लागू होना समाप्त हो जाएगा। तथापि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) लागू रहेगा;

और चूंकि, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु मामले की जांच की गई तथा यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कतिपय प्रतिभूतियां/मदें भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में इस अधिनियम के अधीन अब तक बकाया हैं। इसलिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु, लोक ऋण

अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के ऐसे उपबन्धों को सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक लाने के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) के अधीन उन्हें सम्मिलित करते हुए प्रभाव देना अपेक्षित है। तदानुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में निम्नलिखित मुख्य संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में विचाराधीन है,-

(1) जम्मू और कश्मीर राज्य, जहां भी यह भूतपूर्व राज्य की वर्तमान स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में प्रतीत होता है, जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 34) के माध्यम से दो केन्द्र शासित प्रदेशों को मान्यता दी गई है, के संदर्भ का लोप करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 1 में संशोधन करने हेतु;

(2) विनिर्दिष्ट रूप से उनकी गैर-अन्तरणीयता को व्यावृत्त करने के लिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की विशेषताओं को सम्मिलित करने के लिए, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 2 में यथा उपबन्धित ''सरकारी प्रतिभूति'' की परिभाषा को संशोधित करने हेतु और धारा 5 को भी संशोधित करने हेतु; तथा

(3) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) को निरसित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु और लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन की गई कतिपय कार्रवाईयों/ बकाया मदों की व्यावृत्ति के लिए भी उपबन्ध करने हेतु सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 तथा धारा 35 को संशोधित करने हेतु;

और चूंकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की विषय-वस्तु भी राज्य सूची में प्रविष्टि से संबंधित है, यह संकल्प किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के उपबन्धों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में आवश्यक संशोधन किया जाए;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह सभा, इसके द्वारा, संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित मामलों और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक या प्रासंगिक सभी अन्य मामलों को विधि द्वारा विनियमित करने के लिए संसद को सशक्त किया जाए।''

और 5 मिनट्स भाषण दिया।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक और श्रीमती किरण चौधरी ने भी इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कुछ पल के लिए भाषण दिया।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बारे में कुछ पल के लिए भाषण दिया और स्थिति स्पष्ट की।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

24. हरियाणा के भूतपूर्व मंत्रियों/विधायकों का अभिनन्दन करना।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री सुभाष चन्द्र, श्री जगदीश यादव एवं हरियाणा के भूतपूर्व विधायक श्री नफे सिंह राठी, श्री रामवीर सिंह, श्री जसबीर सिंह मलौर, श्री धर्मपाल और डा. एम.एल. रंगा का, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे,का अभिनन्दन किया।

25. विधायी कार्य–

(क) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

मध्याहन पश्चात 3:11 बजे श्री भारत भूषण बतरा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया–

> कि यह सदन हरियाणा नगर निगम (संशोधन), अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), 12 मई 2023 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा यथा लागू का निरनुमोदन करता है।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा, श्री वरूण चौधरी, श्री नीरज शर्मा, श्रीमती किरण चौधरी ने क्रमशः 22, 11, 6 तथा 4 मिनट्स भाषण दिया।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री रामकुमार गौतम एवं श्री ईश्वर सिंह ने क्रमशः 4 तथा 1 मिनट भाषण दिया।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री महोदय ने क्रमशः कुछ पल के लिए, 1 मिनट तथा 1 मिनट भाषण दिया।

मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब देते हुए 24 मिनट्स भाषण दिया।

तत्पश्चात, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रस्ताव किया–

> कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री बिशन लाल सैनी, श्री भारत भूषण बतरा, श्री वरूण चौधरी, श्रीमती किरण चौधरी एवं श्री नीरज शर्मा ने क्रमशः कुछ पल के लिए, 2, 1, 1 एवं 3 मिनटस भाषण दिया।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री रामकुमार गौतम ने 1 मिनट भाषण दिया।

उपाध्यक्ष महोदय ने भी 6 मिनट्स भाषण दिया।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने जवाब देते हुए 1 मिनट भाषण दिया।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी जवाब देते हुए 3 मिनट्स भाषण दिया।

(प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।)

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाजिज 2 से 5 एक साथ रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

26. हरियाणा की भूतपूर्व विधायक एवं चौधरी मनीराम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय, भोड़िया खेड़ा, जिला फतेहाबाद तथा कैंब्रिज पब्लिक स्कूल, भिवानी रोहिल्ला, जिला हिसार के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन करना।

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से–

(क) हरियाणा की भूतपूर्व विधायक श्रीमती सरिता नारायण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठी थीं, का अभिनन्दन किया।

(ख) चौधरी मनीराम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय, भोड़िया खेड़ा, जिला फतेहाबाद के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ग) कैंब्रिज पब्लिक स्कूल, भिवानी रोहिल्ला, जिला हिसार के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

27. जाति सूचक शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवाने का मामला उठाना।

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार पर चर्चा के समय श्री भारत भूषण बतरा, विधायक ने श्री रामकुमार गौतम, विधायक द्वारा एक जाति के खिलाफ कुछ गलत रिमार्कस देने का मामला उठाया और अध्यक्ष महोदय से कहा कि किसी विधायक द्वारा किसी भी जाति के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से इस तरह के सभी शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवाने की मांग की।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि अगर सदन में किसी जाति के खिलाफ कोई भी शब्द प्रयोग किया गया है तो उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने इस तरह के सभी शब्दों को सदन की कार्यवाही से

निकलवा दिया।

28. मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों की पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा करना।

मुख्यमंत्री महोदय ने हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों की पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस बारे में रोस्टर बनाने का कार्य डिपार्टमैंट्स कर रहे हैं और एक सप्ताह के अन्दर इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री महोदय और परिवहन मंत्री ने भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई उपरोक्त घोषणा का स्वागत करते हुए उनको धन्यवाद दिया।

29. विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

2. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 5:10 बजे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाजिज 2 से 4 एक साथ रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 5:13 बजे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री वरूण चौधरी ने 1 मिनट भाषण दिया ।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाज 2

मुख्यमंत्री महोदय ने श्री वरूण चौधरी, विधायक के सुझाव पर और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, इस विधेयक की क्लाज 2 में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया–

कि क्लाज 2 की सब क्लाज (ii) के पार्ट (1) की अन्तिम लाइन independent residential dwelling unit or commercial unit के बाद "as the case may be." लिखा जाए ।

यथासंशोधित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

यथासंशोधित प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

30. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

"दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से फसल को हुए नुकसान बारे"

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें राव दान सिंह, विधायक तथा 2 अन्य विधायकों श्री आफताब अहमद तथा श्रीमती गीता भुक्कल से दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से फसल को हुए नुकसान से संबंधित अल्पावधि सूचना संख्या 2 प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26, जो कि श्रीमती किरण चौधरी द्वारा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 43 के साथ जोड़ दिया गया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45, जो कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण उन्होंने इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 43 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होंने आगे राव दान सिंह, विधायक को प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ने तथा इसके बाद संबंधित मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा।

उपमुख्यमंत्री ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि उनके द्वारा रेज की गई क्वैरी अभी रिजॉल्व नहीं हुई है। उन्होंने पिछले कई वर्षों के दौरान सदन में जो अल्पावधि चर्चा को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जोड़ा गया है, उसके कई उदाहरण भी सदन में तिथिवार प्रस्तुत किए और अध्यक्ष महोदय से कहा कि ये सब सेम नेचर के थे। अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि सेम नेचर का होने के कारण ही आज के अल्पावधि चर्चा की सूचना को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सदन पहले भी प्रथाओं से चलता रहा है और अब भी वे प्रथाओं को ही फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने राव दान सिंह, विधायक से पुनः अपनी सूचना पढ़ने के लिए कहा।

तत्पश्चात राव दान सिंह, विधायक ने अपनी सूचना पढ़ी।

तब उप मुख्यमंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

31. विधायी कार्य (पुनरारम्भ)–

(ख) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

1. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 6:30 बजे उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

2. हरियाणा वाद्य (शोर–नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023

सायं 6:30 बजे उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा वाद्य (शोर–नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

3. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023

सायं 6:30 बजे उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

1. **सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023**

सायं 6:31 बजे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

32. कैग की रिपोर्ट से सम्बन्धित फॉईनैंशियल मिसमैनेजमेंट का जवाब देने के बारे में सूचना देना।

मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि डा. रघुवीर सिंह कादियान द्वारा फॉईनैशियल मिसमैनेजमेंट से संबंधित कैग की रिपोर्ट के जो आब्जैक्शंज सदन में उठाए गए थे उनके बारे में मैने 25 अगस्त को सदन में कहा था कि हम आने वाले 2 दिन के अन्दर जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय चाहें तो मैं आज या कल जवाब देने के लिए तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि आप कल जवाब दे सकते हैं।

33. क्लीन हुई ड्रेन्स, कैनाल्स, रीवर्ज से संबंधित डाटा सदन में ले डाउन करने के बारे में सूचना देना।

उप मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि शुक्रवार 25 अगस्त को जो कॉलिंग अटैंशन मोशन आया था उस में विधायकों ने जितनी ड्रेन्स, कैनाल्स और रीवर्ज क्लीनअप हुई थी उनका डाटा मांगा था उस समय हमारे पास इनका लम्पसम डाटा था लेकिन अब हमारे पास डिटेल्ड में इनका डाटा आ चुका है इसलिए उन्होंने उसको सदन में ले डाउन करते हुए कहा कि अगर किसी विधायक को ये डाटा चाहिए तो वे नेवा पोर्टल से अपलोड कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने, मध्याहन पश्चात 3:10 बजे से 4:41 बजे तक सदन की अध्यक्षता की।

अध्यक्ष महोदय ने, सदन की राय से, सदन की बैठक का समय निम्नानुसार बढ़ाया–

(क) सायं 6:00 बजे से 30 मिनटस के लिए।
(ख) सायं 6:30 बजे से 30 मिनट्स के लिए।
तब सभा सोमवार, 29 अगस्त, 2023 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

....

बुलेटिन संख्या–3
मंगलवार, 29 अगस्त, 2023

(प्रातः 11:00 बजे से सायं 7:44 बजे तक)

1. **राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनके जन्म दिवस पर बधाई देना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

2. **प्रश्न**

(क) तारांकितः

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	9	—	—	17

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकितः 40

3. **हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्षों एवं पूर्व मंत्री/ यूनिवर्सिटी सीनियर सैंकेडरी मॉडल स्कूल, कुरूक्षेत्र के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों और पंजाब विधान सभा के सदस्य का अभिनन्दन।**

प्रश्न काल के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से–

(क) हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ख) हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री कुलदीप शर्मा, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

(ग) यूनिवर्सिटी सीनियर सैंकेडरी मॉडल स्कूल, कुरूक्षेत्र के अध्यापक तथा विद्यार्थी, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

(घ) पंजाब विधान सभा के सदस्य सरदार सुखविन्द्र सिंह कोटली, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया

4. सत्र की अवधि बढ़ाने का मामला उठाना ।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री राम कुमार गौतम तथा इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल ने सत्र की अवधि बढ़ाने का मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि जो प्रश्न लिस्टिड होते हैं वे पूरे नहीं लग पाते हैं इसलिए सत्र की अवधि और बढ़ा दी जाए ताकि जिन सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिल पाता है उनको समय मिल सके । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि जो प्रश्न प्रश्नकाल में नहीं लग पाते हैं उनके रिप्लाई सरकार की तरफ से लिखित में आते हैं । उन्होंने सदन में यह भी सूचित किया कि हरियाणा विधान सभा देश में पहली विधान सभा है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि सैशन ना भी चल रहा हो तब भी माननीय सदस्य कोई भी तीन प्रश्न एक महीने में पूछ सकता है और उन प्रश्नों का डिपार्टमैंट की तरफ से जवाब आएगा ।

5. प्रश्नों के जवाब न आने का मामला उठाना ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री शमशेर सिंह गोगी ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि उनके द्वारा दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर उनको उपलब्ध नहीं करवाए जाते। अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को बताया कि वे इस बारे में दिखवा लेंगे।

6. सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से संबंधित सूचना देना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2022–2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति द्वारा श्री असीम गोयल, विधायक को प्रथम, श्री जोगीराम सिहाग, विधायक को द्वितीय तथा श्री अमित सिहाग, विधायक को तृतीय सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने अपने तथा सदन के सदस्यों की ओर से तीनों सदस्यों को बधाई दी।

उन्होंने तीनों चयनित विधायकों को पुरस्कृत करने के लिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री तथा उपाध्यक्ष महोदय को आमंत्रित किया।

तत्पश्चात् तीनों चयनित विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक समिति के सदस्यों द्वारा उनके विधान सभा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल तथा क्रमशः 1 लाख, एक हजार, 71 हजार तथा 51 हजार रूपये का चैक देकर सम्मानित किया गया।

7. लेह में शहीद हुए जवानों का मामला उठाना ।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने लेह में सड़क हादसे में शहीद हुए जवानों का मामला उठाते हुए कहा कि लेह में कुछ जवान ऑन डयूटी गढ्ढे में गिरकर शहीद हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लेह में पंजाब के भी तीन जवान शहीद हुए हैं। पंजाब सरकार ने शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को एक एक करोड़ रूपये तथा एक एक सरकारी नौकरी देने का काम किया है। उन्होनें सरकार से मांग की कि लेह में हरियाणा के शहीद हुए 5 जवानों को भी एक–एक करोड़ रूपये और एक–एक सरकारी नौकरी दी जाए ।

मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को बताया कि हरियाणा सरकार की पॉलिसी के हिसाब से ही हरियाणा के इन शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सहायता दी जाएगी ।

8. हाई टी के लिए सदन के सदस्यों को आमंत्रित करना ।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री असीम गोयल ने सर्वश्रेष्ठ विधायक चयनित होने पर सदन के सभी सदस्यों/अधिकारियों को दोपहर बाद लाइब्रेरी के पास हाई टी के लिए आमंत्रित किया।

9. ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों के बारे में सूचना।

जब इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्रीमती किरण चौधरी, श्री आफताब अहमद, श्री जगबीर सिंह मलिक और श्रीमती गीता भुक्कल ने उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें इस बारे में बाद में बता दिया जाएगा । श्रीमती किरण चौधरी ने अध्यक्ष महोदय से यह भी जानना चाहा कि उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्यों रिजैक्ट किए गए हैं । अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्या को बताया कि यह बताने की उन्हें आवश्यकता नहीं है ।

10. शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज सर्वश्री राम करण, राव दान सिंह, अमित सिहाग, घनश्याम दास अरोड़ा, श्रीमती रेनू बाला, जयवीर सिंह, महीपाल ढांडा, सत्य प्रकाश, विनोद भ्याना, श्रीमती नैना सिंह चौटाला, श्रीमती निर्मल रानी, नरेन्द्र गुप्ता, लक्ष्मण सिंह यादव, दुड़ा राम, दीपक मंगला, राम कुमार गौतम, श्रीमती सीमा त्रिखा, सीताराम यादव तथा नयन पाल रावत, विधायकों को शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

11. शून्य काल में नाम न होने का मामला उठाना ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि तीन दिनों में से एक दिन भी उनके नाम शून्य काल में बोलने के लिए नहीं लिए गए हैं इसलिए सदन का समय बढ़ाया जाए ताकि वे सदस्य भी अपनी बात सदन में रख सकें ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को वर्ष 2000 से लेकर 2023 तक सत्र की हुई बैठकों की डिटेल के बारे में बताते हुए कहा कि अब स़त्र की बैठकें पिछले समय की बैठकों से डेढ़ गुना ज्यादा हो रही हैं । उन्होंने सदन को यह भी बताया कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जो बिजनैस तय हुआ है उसके मुताबिक ही वह काम करेंगे।

12. ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पावधि चर्चा/ प्राईवेट मैम्बर बिल तथा नियम 84 के तहत प्रस्तावों के बारे में सूचना।

जब इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने उनकी पार्टी के द्वारा विभिन्न विषयों पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पावधि चर्चा/प्राईवेट मैम्बर बिल तथा नियम 84 के प्रस्तावों की सूचनाओं का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि या तो उन्हें स्वीकार कर लिया गया है या अस्वीकार कर लिया गया है या सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेज दिया गया है या विचाराधीन हैं।

जब इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने उनकी पार्टी के द्वारा विभिन्न विषयों पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पावधि चर्चा/प्राईवेट मैम्बर बिल तथा नियम 84 के प्रस्तावों की सूचनाओं के विषय के बारे में जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने डिटेल्ड में उनको उनके द्वारा दिए गए विभिन्न प्रस्तावों के विषय के बारे में भी अवगत कराया ।

13. शून्य काल में बोलने के लिए नाम न होने का मामला उठाना ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि तीन दिनों में से एक दिन भी उनके नाम शून्य काल में बोलने के लिए नहीं लिए गए हैं इसलिए उन्हें भी बोलने का समय दिया जाए । यहां तक कि कुछ सदस्य सदन की वैल में आ गए और इस विषय को लेकर अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करने लगे । अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि या तो वे अपनी सीटों पर जाएं अन्यथा वह उनको नेम कर देंगे । कुछ समय बाद वे सदस्य अपनी अपनी सीटों पर चले गए । श्री मेवा सिंह, विधायक तथा उनकी पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि यदि उनको शून्य काल में बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है तो वे अपनी मांगों से सम्बन्धित कागज सदन के पटल पर रख देते हैं ।

14. **यूनिवर्सिटी सीनियर सैकेंडरी मॉडल स्कूल, कुरूक्षेत्र के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के दूसरे ग्रुप का अभिनन्दन करना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से यूनिवर्सिटी सीनियर सैंकेंडरी मॉडल स्कूल, कुरूक्षेत्र के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के दूसरे ग्रुप जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

15. **आशा वर्कर्ज की विभिन्न समस्याओं का मामला उठाना।**

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री मेवा सिंह ने पंचकूला में आशा वर्कर्ज द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे आन्दोलन का मामला उठाया और सरकार से इस बारे में उचित कदम उठाने की मांग की।

16. **शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना।**

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, सर्वश्री राम करण, राव दान सिंह, घनश्याम दास अरोड़ा, अमित सिहाग, श्रीमती रेनु बाला, जयवीर सिंह, महीपाल ढांडा, सत्य प्रकाश जरावता, विनोद भ्याना, श्रीमती नैना सिंह चौटाला, श्रीमती निर्मल रानी, नरेन्द्र गुप्ता, लक्ष्मण सिंह यादव, दुड़ा राम, दीपक मंगला, बलबीर सिंह, राम कुमार गौतम, श्रीमती सीमा त्रिखा, सीताराम यादव, नयन पाल रावत, लक्ष्मण नापा, बलराज कुण्डू, बिशन लाल सैनी, राम निवास, श्रीमती शैली, आफताब अहमद, सुभाष सुधा, भारत भूषण बतरा, वरूण चौधरी, जगदीश नायर, श्रीमती शंकतुला खटक, डा. रघुवीर सिंह कादियान, जोगीराम सिहाग, अमरजीत ढांडा, राजेश नागर, प्रवीण डागर, सुरेन्द्र पंवार, लीला राम, रामकुमार कश्यप, हरविन्द्र कल्याण, मोहम्मद इलियास तथा संजय सिंह विधायकों ने उन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाया।

17. **अध्यक्ष महोदय द्वारा शून्य काल में बोलने के लिए सभी सदस्यों के लिए समय निर्धारित करने के बारे में सूचना देना ।**

शून्य काल के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा ताकि सभी सदस्यों को शून्यकाल में बोलने के लिए तीन तीन मिनट का समय दिया जा सके ।

18. **परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित नोटिफिकेशन सदन में ले डाउन करने बारे मामला उठाना ।**

शून्य काल के दौरान इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा ने परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित नोटिफिकेशन का मामला उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि वे सैशन समाप्त होने से पहले पहले परिवार पहचान पत्र से संबंधित नोटिफिकेशन ले डाउन कर देंगे लेकिन वह नोटिफिकेशन अभी तक सदन में ले डाउन नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को बताया कि इस बारे में आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा हुआ है और वे उस समय इस बारे में अपनी सारी बात रख सकते हैं और मुख्यमंत्री जी इस बारे में सारी स्थिति स्पष्ट कर देंगे ।

19. उप मुख्यमंत्री द्वारा लाल डोरा स्वामित्व योजना के तहत डाटा देने के सम्बन्ध में सूचना देना ।

शून्य काल के दौरान उप मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि लाल डोरा स्वामित्व योजना के तहत जो जमीन की रजिस्ट्रियां की जा रही हैं और इस तरह की प्रोपर्टी के अगेनस्ट लोन नहीं मिल रहे हैं उन सभी 16 जिलों का डाटा कलैक्ट करके कम्पाइल करवाया गया है जिसको वे सदन के पटल पर रख रहे हैं । इसके अलावा जो बचे हुए 6 जिले हैं उनका भी इस तरह का डाटा मांगा गया है जिसकी कापी भी वह सदन के पटल पर रख देंगे । उन्होंने सदन को यह भी बताया कि इस साल के अन्त तक सरकार 24 लाख 88 हजार के लगभग प्रोपर्टी कार्डों को रजिस्टर्ड डीड में कंवर्ट करने का काम भी कर देगी ।

20. दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, करनाल के अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन करना।

शून्य काल के दौरान उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, करनाल के अध्यापक तथा विद्यार्थियों, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

21. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया—

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

22. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

23. बैठक का स्थगन।

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब सदन श्री असीम गोयल, विधायक द्वारा आयोजित हाई टी के लिए 4:00 बजे तक के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात सदन मध्याह्न पश्चात् 3:06 बजे से लेकर 4:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न–पश्चात् 4:00 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।

24. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य।

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग से संबंधित"

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के मुआवजे के मांग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 9 प्राप्त हुई जिसे उन्होंने आज के लिए स्वीकृत कर लिया है।

उन्होंने श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक को अपनी सूचना पढ़ने तथा इसके बाद संबंधित मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा।

जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक को अपनी सूचना पढ़ने के लिए कहा, इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नीरज शर्मा ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन कि उन्होंने भी इसी विषय से सम्बन्धित एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 25 अगस्त को दिया था लेकिन उसको स्वीकृत करके इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ क्लब नहीं किया गया । अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि आपका यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय कुछ और था और केवल जानकारी ही उसमें मांगी गई थी इसलिए उसको स्वीकृत नहीं किया गया था फिर भी आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने पुनः श्री अभय सिंह चौटाला से अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने के लिए कहा ।

श्री अभय चौटाला, विधायक ने अपनी सूचना पढ़ी।

तब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

25. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना के बारे में मामला उठाना ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 9 पर चर्चा के दौरान इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल ने उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा दिए गए सी.ई.टी. से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यह मामला कोर्ट में सबज्युडिस है लेकिन जानबूझकर माननीय सदस्या इस विषय को सदन में उठाकर अपनी हाजिरी लगवाना चाहती हैं । अध्यक्ष महोदय की इस बात पर विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एवं उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि हाजिरी वाला शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए । इस विषय पर कुछ चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने हाजिरी वाले शब्द को सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया ।

26. दक्षिणी हरियाणा के लिए 100 फुट गहरे टयूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शन देने के बारे में सूचित करना।

उप मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन को सूचित किया कि बाढ़ड़ा की विधायक श्रीमती नैना सिंह चौटाला की मांग को देखते हुए सरकार ने दक्षिणी हरियाणा के लिए 100 फुट गहरे टयूबवैल्ज के लिए अब सौर उर्जा की बाध्यता को खत्म करके उन्हें बिजली के कनैक्शन देने के लिए अब नॉटिफिकेशन जारी कर दी है और इस बारे में डायरैक्शंज जारी कर दी गई हैं।

27. प्रयास इंटरनैशनल स्कूल, गन्नौर के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों और हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य का अभिनन्दन।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से–

(क) प्रयास इंटरनैशनल स्कूल, गन्नौर के अध्यापक तथा विद्यार्थी, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

(ख) हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री लहरी सिंह, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

28. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य।

"परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार के लिए आम जनता के समक्ष आने वाली समस्या बारे"

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक

से परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार के लिए आम जनता के समक्ष आने वाली समस्या बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 प्राप्त हुई जिसे उन्होंने आज के लिए स्वीकृत कर लिया है।

उन्होंने श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक को अपनी सूचना पढ़ने तथा इसके बाद संबंधित मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा।

श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक ने अपनी सूचना पढ़ी।

तब मुख्यमंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

29. वॉक आउट।

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार के लिए आम जनता के समक्ष आने वाली समस्याओं बारे मुख्यमंत्री द्वारा पी.पी.पी. में खामियों को दूर करने के लिए इस विषय को सिलैक्ट कमेटी में भेजने के उनके सुझाव को न मानने के कारण इसके विरोध में सदन से वॉक आउट कर गए।

30. नेवा पोर्टल के माध्यम से हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति की 88वीं रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना।

लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन (श्री वरूण चौधरी) ने नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग खातों/वित्त खातों पर तथा भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखा परीक्षा पर वर्ष 2022 की रिपोर्ट संख्या 4 तथा भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा और बिजली, उधोग और वाणिज्य और शहरी विकास समूहों के अनुपालना लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर, वर्ष 2023–24 के लिए लोक लेखा समिति की 88वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

31. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र।

संसदीय कार्य मंत्री ने नेवा पोर्टल के माध्यम से क्रम संख्या 1 से 4 कागज–पत्र सदन की मेज पर रखे ।

32. विधायी कार्य–

(क) (विचार तथा पारित करने के लिए विधेयक)

1. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 6:10 बजे उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

क्लॉजिज 2 से 27 एक साथ रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

सब क्लाज 1 ऑफ क्लॉज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

2. हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023

सायं 6:13 बजे गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

3. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023

सायं 6:17 बजे गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाज 2, क्लॉज 3, क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

4. सोनीपत महानगर प्राधिकरण विधेयक, 2023

सायं 6:19 बजे मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि सोनीपत महानगर प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री वरूण चौधरी और श्री नीरज शर्मा ने क्रमशः 1 एवं 2 मिनट्स भाषण दिया।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

क्लॉजिज 2 से 60 एक साथ रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

सब क्लाज 1 ऑफ क्लॉज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

33. चन्द्रयान–3 की चांद के दक्षिणी छोर पर सफल लैंडिंग के संबंध में लाए जाने वाले सरकारी प्रस्ताव में कुछ नाम जोड़ने का मामला उठाना ।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने चन्द्रयान–3 की चांद के दक्षिणी छोर पर सफल लैंडिंग के संबंध में आज लाए जाने वाले सरकारी प्रस्ताव में कुछ नाम जोड़ने का मामला उठाते हुए कहा कि 25 अगस्त को इस बारे में बधाई देते हुए उनकी तरफ से कुछ नाम ऐड किए गए थे लेकिन आज इस संबंध में जो सरकारी प्रस्ताव लाया जा रहा है उसमें उनके द्वारा ऐड किए गए नाम शामिल नहीं है जबकि उस दिन आपने कहा था कि ऐड किए हुए नाम शामिल कर लिए जाएंगे अध्यक्ष महोदय ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा कि वे नाम अभी ऐड करवा देंगे ।

34. रिपीलिंग किए गए बिलों का मामला उठाना।

सोनीपत महानगर प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि अभी गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने जो 2 बिल रिपील करवाए हैं उनमें कई क्लॉजिज इंट्रोडक्शन वाली थीं। हो सकता है कि इस तरह की गलतियां शायद पहले हमेशा होती रही हों। उन्होंने चाहा कि हमें अपनी पिछली प्रथाओं पर चलने के बजाए और बेहतर तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में बिल कैसे रिपील किए जाते हैं उनको देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि वे इस बारे में चैक करवाऐंगे कि हमारे रूल्ज एण्ड प्रोसीजर में क्या है और लोकसभा के रूल्ज एण्ड प्रोसीजर में क्या है। ये सारा देखने के बाद ही वह इस बारे में संज्ञान लेंगे।

35. रूल्ज कमेटी की मीटिंग बुलाने का मामला उठाना ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल ने अध्यक्ष महोदय से विधान सभा की रूल्ज कमेटी की मीटिंग बुलाने का आग्रह किया ताकि रूल्ज में जरूरी अमैंडमैंट किए जा सकें । अध्यक्ष महोदय ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि रूल्ज में अमैंडमैंट के लिए उन्होंने तीन अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया है और वह कमेटी सारे रूल्ज पर वन बाई वन विचार कर रही है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही रूल्ज कमेटी की मीटिंग बुलाकर आगे की कार्यवाही की जाएगी ।

36. विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(ख) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023

सायं 6:28 बजे मुख्यमंत्री ने हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023 प्रस्तुत किया तथा यह भी प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भुषण बतरा, श्री आफताब अहमद, श्रीमती गीता भुक्कल, डा. रघुबीर सिंह कादियान और श्री जगबीर सिंह मलिक ने क्रमशः 5, 4, 8, 9 एवं 7 मिनट्स भाषण दिया।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री रामकुमार गौतम ने 4 मिनट्स भाषण दिया।

मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब देते समय 1 मिनट भाषण दिया।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाज 2, क्लाज 3, शिड्यूल, क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

37. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने बारे घोषणा करना।

विधायी कार्य के दौरान मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन में 449 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की और कहा कि 1000 और अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की नियमित होने वाली कॉलोनियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी सम विकास योजना के तहत 500 करोड़ रू. का प्रारम्भिक कोष अलग से रखा जाएगा ताकि इनमें बुनियादी कार्य करवाए जा सकें।

38. हरियाणा की मारकंडा, टांगरी और घग्घर नदियों की ड्रेजिंग के लिए एक कमेटी का गठन करने के सम्बन्ध में सूचना देना ।

विधायी कार्य के दौरान मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन में सूचना दी कि मारकंडा, टांगरी और घग्गर नदियों की ड्रेजिंग के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें ए.सी.एस. रिवैन्यू, एडवाइजर टू सी.एम., ए.सी.एस. एन्वायर्नमैंट, फोरैस्ट एण्ड वाइल्ड लाइफ, ए.सी.एस. माइन्स एण्ड ज्योलोजी, कमिश्नर एण्ड सैक्रेटरी, इरीगेशन एण्ड वाटर रिसोर्सिज शामिल होंगे । उन्होंने यह भी बताया कि यह कमेटी जो सीजनल रीवर्स हैं उनका समय समय पर अलग अलग बैड लैवल फिक्स करने की दिशा में काम करेगी तथा एक महीने के अन्दर अन्दर अपनी रिकमैंडेशंज देगी ।

39. डा. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक द्वारा कैग की रिपोर्ट के बारे में फॉईनैंशियल मिसमैनेजमेंट से सम्बन्धित उठाए गए विषयों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जवाब देना ।

मुख्यमंत्री महोदय ने डा. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक द्वारा सदन में दिनांक 25.8.2023 को कैग की रिपोर्ट के बारे में फॉईनैंशियल मिसमैनेजमेंट से सम्बन्धित जो विषय उठाए गए थे, उनके बारे में विस्तृत जवाब देते हुए कहा कि इसी तरह के विषय प्रतिपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा भी दिनांक 8.8.2022 को सदन में उठाए गए थे जिसका लिखित जवाब उन्होंने एक पत्र के माध्यम से दिनांक 9.1.2023 को दिया था और इसी कारण अलग से उन्होने डा. रघुवीर सिंह कादियान को जवाब नहीं दिया था ।

40. विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

2. हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023

सायं 7:10 बजे मुख्यमंत्री ने हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023 प्रस्तुत किया तथा यह भी प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाज 2, क्लाज 3, शिड्यूल, क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

41. सरकारी प्रस्ताव–

चन्द्रयान–3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बारे में ।

सायं 7:30 बजे मुख्यमंत्री महोदय ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:–

"'कि चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग से हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवांवित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ-साथ यह गरिमामय सदन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य सभी अभिकरणों, जिन्होंने इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है, उन्हें बधाई देता है। यह राष्ट्रीय उपलब्धि अमृत काल की शुभ बेला में प्राप्त हुई है। यह अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्त्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। यह बड़े सम्मान की बात है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की यह घोषणा कि चंद्रयान-3 का लैंडिंग प्वाइंट अब से 'शिव शक्ति' कहा जाएगा और चंद्रयान-2 के इंपेक्ट प्वाइंट का नाम 'तिरंगा' होगा, नये भारत के विजन को दर्शाती है। इसमें विफलता के बावजूद भी साहस है और राष्ट्रीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने, नवोन्मेषी ढंग से मिलकर काम करने का जज्बा है भारत की यह भावना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इस उद्धरण में सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होती है। मैं उसे उघृत करना चाहूंगा 'यह वह भारत है, जो अंधेरे क्षेत्रों में भी जाता है और प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करता है। यह गरिमामय सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करता है, जिन्होंने चंद्रयान-2 के लैंडिंग सफल न होने पर इसरो के वैज्ञानिकों को सांत्वना दी और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्हें चांद की ऐसी सतह पर पहुंचने का लक्ष्य दिया, जहां अतीत में कोई देश नहीं पहुंचा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई ताकत दी और जोश भरा। चंद्रयान-2 की लैंडिंग के प्रयासों के बाद के क्षण व एक करूणामय नेता का विजन, जिसने लोगों को वह हासिल करने के लिए इस्पात जैसी ताकत व दृढ़ संकल्प प्रदान किया। यह हर भारतीय के मन में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। यह गरिमामय सदन हरियाणा व हरियाणा के लोगों के चंद्रयान-3 मिशन में अहम भूमिका निभाने की सराहना करता है। हरियाणा में उन्नत उद्योग और प्रौद्योगिकी के कारण रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद और हिसार से मंगवाए गए परिष्कृत उपकरण इसका आधार बने। यह गरिमामय सदन इस राष्ट्रीय उपलब्धि में हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता है। इनके नाम हैं- अम्बाला की आरूषि, हिसार के यज्ञ मलिक, भिवानी के देवेश ओला व अमित, करनाल के दीपांशु गर्ग व एश्वर्या, फतेहबाद के आदित्य सेठी, दादरी की कविता। चंद्रयान मिशन और रोवर प्रज्ञान द्वारा भेजे गये चित्रों से नये वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा मिलेगा और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से समस्त मानव जाति, विशेषकर ग्लोबल साउथ के लिए नई जानकारी उपलब्ध होगी। यह गरिमामय सदन लोगों की भावनाओं से ओतप्रोत इस बधाई प्रस्ताव की एक-एक प्रति भारत सरकार, इसरो और अन्य अंतरिक्ष संगठनों को भेजने पर खुशी का अनुभव

कर रहा है।' जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान"

और 4 मिनट्स भाषण दिया।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नीरज शर्मा और डा. रघुवीर सिंह कादियान ने क्रमशः कुछ पल के लिए एवं 4 मिनट्स भाषण दिया।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री अभय सिंह यादव ने 1 मिनट भाषण दिया।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी कुछ पल के लिए भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

42. मुख्यमंत्री महोदय तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद एवं रक्षाबंधन के अवसर पर बधाई देना।

सदन के अनिश्चित काल तक स्थगित होने से पहले मुख्यमंत्री महोदय ने विधान सभा अध्यक्ष का, विधान सभा उपाध्यक्ष का, समस्त सदस्यगणों का, सभी अधिकारियों का, सभी प्रैस प्रतिनिधियों का और हरियाणा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी अपना सहयोग देने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने 30 तारीख को आने वाले रक्षाबंधन के उत्सव के लिए भी पूरे हरियाणा के ओर देश के सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं एवं बधाई भी दी।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन के समस्त सदस्यगणों का उन्हें अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने वर्तमान सत्र के दौरान सभी प्रैस प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों तथा हरियाणा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी उन्हें अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने रक्षाबंधन के पावन त्यौहार की सभी को शुभकामनाएं दीं।

उपाध्यक्ष महोदय ने मध्याह्न पश्चात 12:35 से मध्याह्न पश्चात 1:11 तक तथा मध्याह्न पश्चात 1:52 से मध्याह्न पश्चात 2:44 बजे तक अध्यक्षता की ।

तब सभा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।

....